बिहार विधान-सभा

(भाग 2—कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

बुधवार, तिथि 24 मार्च 1982

विषय-सूची

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव की सूचना (अमान्य)	1
राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद (क्रमशः)	2—22
शून्यकाल की चर्चाएं:	
(क) पेयजल की व्यवस्था	22—23
(ख) जिला अभियन्ता की नियुक्ति ..	23
(ग) कर्मचारियों की छटनी	23—24
(घ) दुकानदारों को आर्थिक सहायता ..	24
(ङ) अस्पताल के लिए भवन की व्यवस्था ..	24
(च) साहेबगंज को जिला बनाना	25
(छ) मवेशी अस्पताल खोलने के संबंध में ..	25
(ज) अधिवक्ताओं की उपेक्षा	25—26
(झ) चिकित्सक का पदस्थापन	26
(ञ) अभाव-ग्रस्त क्षेत्र घोषित करना	27

72 एल० ए०—

श्री इन्दर सिंह नामधारी—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि तिथि 24 मार्च, 1982 के कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हो।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि 24 मार्च, 1982 को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक के प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राज्यपाल के अभिभाषण पर वादविवाद: धन्यवाद प्रस्ताव

*डॉ० जगन्नाथ मिश्र—अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन दिनों से माननीय सदस्य श्री रामाश्रय राय जी के धन्यवाद के प्रस्ताव पर यह सदन विचार कर रहा है और काफी महत्वपूर्ण विषय की चर्चा भी हुई है। मैंने माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को भी गहराई से देखा है और, इसपर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं। पहले मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूं जिसकी अपेक्षा थी इस वादविवाद से। महामहिम राज्यपाल ने जिस बुनियादी बातों की चर्चा अपने अभिभाषण में की और उसपर जो अपेक्षा विरोधी दल के लोगों से करते थे वह नहीं दिया गया है। जिस परिस्थिति में, किस व्यवस्था में राज्यपाल को यह सब कहना पड़ा इसकी विरोधी पक्ष की ओर से स्पष्ट करना चाहिए था। जिन कठिनाइयों और परेशानियों में श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश की आर्थिक व्यवस्था पर काबू पाया है जिस तरह से यहां की अर्थ व्यवस्था को सुदृढ किया है उसी को राज्यपाल जी ने अपने भाषण में और हमने भी अपने बजट भाषण में भी इन बातों की चर्चा की है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने दृढता से, दुरदर्शिता से और मजबूती से राष्ट्रीय उत्पादन को इतनी तेजी से आगे बढ़ाया कि 1980-81 में 7.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, 1981-82 में 5 प्रतिशत और छठी योजना के लिए हमने 5.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का लक्ष्य बनाया है या हो सकता है छः प्रतिशत से भी अधिक हो जाय 6 प्रतिशत से अधिक का विकास की गति स्थापित किया है। साथ ही औद्योगिक उत्पादन भी जहां पहले माइनस .74 हुआ वहां यह 1980-81 में 4 प्रतिशत

और 1981-82 में 8 प्रतिशत से भी अधिक होनेवाला है। इसी तरह से हमने दूसरे-दूसरे मदों में भी अपना लक्ष्य निर्धारित कर उससे भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमने लोहा और बिजली के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। इन सब उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन विरोध पक्ष के लोग इन सब प्रगतियों को नकार कर राष्ट्रीय आत्मविश्वास को कुंठित करने की एक सुनियोजित षड्यंत्र कर रहे हैं। इन सब उपलब्धियों को आज नकारना राष्ट्रीय आत्मविश्वास को खण्डित करने की एक सुनियोजित षड्यंत्र की जा रही है। विरोधी पक्ष की ओर से इसी ओर राज्यपाल जी ने अपने भाषण में माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट किया था। उन्होंने इस बात की अपेक्षा की थी कि राष्ट्र के प्रति, इस बिहार प्रदेश के प्रति कुछ प्रतिबद्धता दे सके विरोधी पक्ष, राज्यपाल जी की यह व्यग्रता थी, लेकिन इस पृष्ठभूमि में हमें बहुत निराशा हुई।

अध्यक्ष जी, हमने पिछले सत्र में जब विरोधी पक्ष के लोग सदन का बहिष्कार किये हुए थे, 2-3 बुनियादी बातों की चर्चा की थी कि किस तरह से लोकतंत्र की परम्परा और लोकतंत्रीय विश्वास को आज खण्डित करने की साजिश की जा रही है और किस तरह से लोकतंत्र के नाम पर...... ..

(इस अवसर में सदन में शोरगुल)

अध्यक्ष जी, स्पष्ट तथ्यों के आधार पर इस बातों की चर्चा हम करना चाहते हैं। जिस रूप में न्यायपालिका के समक्ष इस विधान-मंडल के अस्तित्व और कारंवाइयों की चुनौती दी गई और किस तरह से उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में इस बात की चर्चा स्पष्ट रूप से की कि संविधान की धारा 212 के तहद न्यायपालिका के क्षेत्र से विधान-मंडल की कारंवाई अलग है, उसकी अपनी स्वतंत्रता है, और संविधान की उस धारा के तहद अध्यक्ष को पूरी शक्ति प्रदत्त किया गया है कि अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय है कारंवाई के सम्बन्ध में जनता की सार्वभौम संस्था यह विधान-मंडल है। जो शक्ति संविधान ने दिया है धारा 212 के तहद, धारा 189 के तहद गणपूर्ति किया है सदन का, सदन का निर्णय बहुमत से होगा, संविधान बनाने वाले ने दूर स्थिति को मानकर प्रावधान किया है। धारा 189, धारा 212 को देखने के बाद विरोधी दल के

नेता को यह शक हो कि यह सदन प्रर्याप्त नहीं है और उसका संरक्षण न्यायपालिका से मिल सकता है यह काफी दुखद है। इसलिए हमने कहा था अध्यक्ष जी कि सात करोड़ जनता की जो प्रतिमा है जो सार्वभौम सत्ता है, इसको विवाद का विषय यह किस मानसिक स्थिति द्योतक है ? इस मस्तिष्क के पीछे क्या है ? · · .

श्री कर्पूरी ठाकुर—तानाशाही के खिलाफ है।

डॉ० जगन्नाथ मिश्र—बिहार की जनता को, देश की जनता को आज पूरी

तरह से मालूम है कि लोकतंत्र की हामी भरने वाले लोकतंत्र को जड़ को किस तरह से कुरेदना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, मा० सदस्य श्री कर्पूरी ठाकुर का न्यायपालिका जाना ही इस बात का द्योतक है कि वे किस मनोवृति के परिचायक हैं ।

दूसरी बात, उसी कड़ी में मैं कहना चाहता हूं कि 19 तारीख को इस सदन में जो हुआ राज्यपाल जी के अभिभाषण के समय में यह सही है कि लोकतंत्र में विचार विभिन्नता का अधिकार है, संविधान ने यह अधिकार हमें दिया है, लेकिन कुछ मर्यादायें भी अपेक्षित है, कुछ आचरण अपेक्षित हैं। सरकार का विरोध हो, सदन में नारे लगे, हालांकि प्रासंगिक नहीं है, वह भी थोड़े देर के लिए माना जाय, लेकिन· · · · .

राज्यपाल महोदय संविधान की धारा 176 के मातहत विधान मंडल को सम्बोधित करने आये लेकिन यहां विरोधी पक्ष को संविधान के प्रति तथा संविधान के प्रावधानों के प्रति सम्मान नहीं है, मर्यादा नहीं है। सिर्फ लोकतंत्र की चर्चा करने मात्र से ही लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते हैं। संविधान में अनेकों प्रावधान हैं जिसके प्रति हमें सम्मान होना चाहिये लेकिन अध्यक्ष महोदय. मैं बताना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष के नेता ने · · · · · · ।

श्री कर्पूरी ठाकुर—अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी को खदेड़ा नहीं था लेकिन उन्होंने खदेड़ा था।

श्री लाल मुनी चौबे—अध्यक्ष महोदय, उस समय सदन की मर्यादा कहां थी, संविधान की मर्यादा कहां थी जब डा0 जगन्नाथ मिश्र ने......

अध्यक्ष—(अपने आसन पर खड़े होकर) माननीय सदस्य बैठ जांय। शान्ति-शान्ति, आप लोग बैठ जाएं उस तरह से सदन की कार्यवाही नहीं चल सकेगी। जब आप कल्ह एक घंटा बोले थे तो उस तरफ से जिस तरह से सुना गया था वैसे ही सुनें और इस तरह से करना उचित नहीं होगा। अभी सरकार का जवाब हो रहा है।

डा0 जगन्नाथ मिश्र—विरोधी पक्ष के नेता ने अपना विचार प्रकट किया और जो कहना था कहे और सदन से चले गये। अध्यक्ष महोदय, लेकिन राज्यपाल के प्रति जो नारे लगाये गये वह अशोभनीय है। राज्यपाल संवैधानिक प्रधान राज्य के होते हैं, उनकी अपनी प्रतिष्ठा है, उनका अपना सम्मान है, उनकी उनकी मर्यादा है। नारे लगाने से राज्यपाल का जो अस्तित्व संविधान में दिया हुआ है वह समाप्त होनेवाला नहीं है। संविधान की धारा 176 के अनुसार राज्यपाल संयुक्त सम्मेलन को सम्बोधित करने आये तब उनसे कहना कि राज्यपाल वापस जाओ का नारा लगाना किस चीज का द्योतक है। सदन के ऊपर से दर्शक-दीर्घा से पर्चा फेंकने की घटना घटती है लेकिन सदन के भीतर जिस तरह से पर्चाबाजी की गयी वह तो राज्यपाल के प्रति असम्मान प्रकट किया गया। इसलिये मैं कहता हूं कि यदि यही स्थिति जारी रखी जायेगी तो राज्य का भविष्य क्या होगा और हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि जमहुरियत के साथ क्या होनेवाला है। लोकतंत्र के साथ क्या होने वाला है? आप नारा लगाये हैं, पर्चा फेंके हैं। यह बहुत ही गंभीर विषय है और यह चिन्तन का विषय है इसलिये मैं सदन के माननीय सदस्यों से बड़ी विनम्रता से दरखास्त करना चाहता हूं कि जमहूरियत लोकतंत्र के लिये यह अत्यन्त ही खतरनाक समय आया है। जब न्यायपालिका का फैसला सरकार के विरुद्ध हो जाय, चुनाव आयोग का फैसला सरकार के विरुद्ध हो जाय तो ठीक है लेकिन न्यायपालिका का फैसला या चुनाव आयोग का फैसला सरकार के पक्ष में हो जाता है तो विरोधी पक्ष वाले न्यायपालिका की भर्त्सना करते हैं, शिकायत करते हैं, चुनाव आयोग की शिकायत करते हैं; आलोचना करते हैं। ऐसा कर के लोग

जमहूरियत को, लोकतंत्र कमजोर करना चाहते हैं । 1977 में प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने चुनाव करायी और कांग्रेस आई उसमें हार गई लेकिन कांग्रेस आई ने बड़ी ही खूबी से सत्ता में आनेवाले पार्टी के हाथ सौंप दी और फिर 1980 में लोक सभा का चुनाव हुआ, और इसमें इन्दिरा पार्टी दो तिहाई बहुमत से अपने पार्टी के साथ जीतकर आई। और जून महीने में राज्य का चुनाव हुआ। कांग्रेस (आई०) को बहुमत मिला। अगर श्रीमती इन्दिरा गांधी के खिलाफ और जमहुरियत के खिलाफ वोट होता तो लोकतंत्र नहीं बचता। अगर श्रीमती इन्द्रिा गांधी को जमहुरियत और लोकतंत्र के कमजोरी होता तो सब वक्त चुनाव नहीं होता। आज पुनः राष्ट्रीय अखंडता को कमजोर करने की साजिसें विरोधी दल की ओर से हो रही है। आज कांग्रेस (आई०) को कमजोर करने के लिये सिद्धांतविहीन दल एक होकर काम करना चाहते हैं। लेकिन आप समझ लें कि श्रीमती इन्दिरा गांधी में थोड़ी भी कमजोरी होती तो चुनाव नहीं होता। श्रीमती इन्दिरा गांधी को लोकतंत्र में विश्वास है।

अध्यक्ष महोदय, हमें परेशानी तब होती है जब भारतीय जनता पार्टी, लोकदल, जनता पार्टी का तालमेल की चर्चा सुनते हैं। 1977 से 1980 तक की बात को ये कैसे भूल गये हैं। किस बुनियादी बात पर जनता पार्टी को सरकार टूटी था। किस तरह से आपस के झगड़े के कारण ये लोग अलग-अलग हुए थे और बिखर गये थे। फिर किस तरह से ये उप-चुनाव के समय 4 सीट का मिलजुल कर बंटवारा किया। आज भी जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में और लोकदल में आर० एस० एस० की चर्चा क्यों नहीं होती है किन्तु आज भी, हमलोग के बीच झगड़ा इस बात को है कि अध्यक्ष कौन होगा, नेता कौन होगा। ऐसे लोग से जनता क्या अपेक्षा कर सकती है? आज देश में ऐसे तत्व भी खड़ा हुए हैं, जो लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इसी बुनियादी बातों की चर्चा की गयी है और उन्होंने कहा कि टकराव की राजनीति से देश की भलायी नहीं हो सकती है। इस उप-चुनाव में 7 जगह पर कांग्रेस (आई०) की जीत हुई है सिर्फ एक सीट पर श्री इन्द्र सिंह नामधारी की जीत हुई है, जबकि इसके लिये तीन-तीन और

चार-चार दल मिले हुए थे। सारे शेष देश में उप-चुनाव हुए हैं, जिसमें श्रीमती इन्दिरा गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है और कांग्रेस (आई0) की पूरी जीत हुई है।

अध्यक्ष महोदय, 19 जनवरी को ये लोग भारत बन्द का आह्वान किया था लेकिन छोटे से छोटे कारखाने में काम करने वाले लोग भी इनका साथ नहीं दिया। संविधान में चुनाव की व्यवस्था है और चुनाव में पब्लिक ओपिनियन देखा जाता है। श्री कर्पूरी ठाकुर किसान आंदोलन के लिये घूम-घूम कर खूब प्रचार किये लेकिन 5 हजार से 7 हजार तक भी लोग श्री चरण सिंह के नाम पर इकट्ठा नहीं हो सके।

जब चौधरी चरण सिंह भाषण करने लगे तो मुश्किल से पांच हजार आदमी वहां बैठे थे, इसी से आप समझ लीजिए कि बिहार प्रदेश की जनता पर आपकी कितनी साख है। 1971 के चुनाव के बाद, 1974 के चुनाव के बाद, उत्तर प्रदेश में मध्यावधि चुनाव के बाद, सारे देश के विरोधी दल के लोगों ने छोटे-छोटे आन्दोलन, किसानों के नाम पर आन्दोलन मजदूरों के नाम पर आन्दोलन, हिंसा का आन्दोलन, लोकतंत्र को खत्म करने का आन्दोलन बिहार और गुजरात में चलाया। आज उसी तरह से हताश की राजनीति विरोधी दल के नेता श्री कर्पूरी ठाकुर चलाना चाहते हैं, उसी तरह से हताश की राजनीति अटल बिहारी बाजपेयी जी चलाना चाहते हैं, उसी तरह से हताश की राजनीति चन्द्रशेखर जी चलाना चाहते हैं लेकिन जम्हुरियत को सेवा हताश की राजनीति से कोई नहीं कर सकता। 1977 के आम चुनाव के बाद जनता की भावना को हमारे लोकप्रिय नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने स्वीकार किया और दूसरे आम चुनाव तक जनता की भावना का इन्तजार किया, उन्होंने सोचा कि फिर हम जनता के समक्ष चुनाव में आयेंगे और जनता फैसला करेगी। लेकिन बीच में ही संवैधानिक सरकार को तोड़ने की साजिश क्या लोकतांत्रिक परम्परा मानी जायगी, क्या संविधान के प्रति वह सम्मान माना जायगा? यह दरख्वास्त मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। आज विरोधी पक्ष का चेहरा क्या है? उनकी मन्शा क्या है? वे लोकतंत्र को कुंठित करना चाहते हैं। ये सब उनकी बातों से स्पष्ट होती हैं। हम समझते थे कि बड़ी गंभीरता से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन में वे बिन्दुओं को उठाएंगे लेकिन उन बातों की चर्चा नहीं हुई।

विरोधी दल के नेता, श्री कर्पूरी ठाकुर ने संशोधन में बहुत सारी बातें कहीं हैं। ये मुख्य मंत्री रह चुके हैं, इसलिये हम उनसे गंभीर बातों की अपेक्षा रखते थे, उनके संशोधन में कोई भी गंभीर बात की चर्चा नहीं है, दूसरे विरोधी जो गुट हैं, उन लोगों ने भी कोई गंभीर बात की ओर, राज्य की समस्याओं पर या सरकार की कोई बड़ी कमजोरी पर ध्यान आकृष्ट नहीं किया अगर वे ऐसा किये होते, तो हमारा कल्याण होता और इस प्रदेश का कल्याण होता, उनकी सूझ-बूझ से हमको भी लाभ होता। लेकिन फोर्मलिटी के तौर पर, बिना दिमाग लगाये, किसी कहने या न कहने से 4)-5) संशोधन के दे गये, हमने बड़ी गंभीरता से उन संशोधनों को पढ़ा, लेकिन कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि किसी विषय पर हमें गंभीर रूप से विचार करना चाहिए। फिर भी जो कुछ उन्होंने संशोधन दिया है, उसका हम सम्मान देते हैं। हमने उनके संशोधनों को पढ़ा है, देखा है, उनके भाषणों को सुना है जिसमें हमने पाया है कि उनलोगों ने हमारी उपलब्धियों को नकारने की चेष्टा की।

राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, उद्योग, धंधों में हम बढ़ोत्तरी कर रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय जो 1977 से 1979 के बीच घट गयी थी, उसको बढ़ाने का माहौल बनाया। लोकप्रिय नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 1966 से 1976 तक दस वर्षों के बीच प्रति व्यक्ति आय बढ़ायी थी। तीन साल के बीच 1977 से 1979 तक 0.9 प्रतिशत प्रति व्यक्ति आय कम हो गयी थी, उसपर हमने काबू पाया है और 1966 से 1976 तक जो किया गया था, वहाँ तक अभी हम पहुंच पाये हैं।

आपके जरिये विरोधी दल के नेता ने फौरेन एक्सचेन्ज की चर्चा की, पर सम्भवतः वे मूल बातों को भूल गये, पता नहीं वे किस बात पर फख्र करते हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि 1976-7 में जब श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सत्ता छोड़ी थी, उस समय विदेशी व्यापार में 7,200 करोड़ रुपये मुनाफा छोड़ा था और जब श्री चौधरी चरण सिंह प्रधान मंत्री के पद से हटे थे, तो 2,000 करोड़ का घाटा दिया। सवाल विदेशी मुद्रा का यहां पर नहीं है, विदेशी व्यापार में क्या वृद्धि हुई है, सवाल इसका है।

श्री कर्पूरी ठाकुर : ठीक है, कल फिर हम आपको सिखायेंगे।

डॉ० जगन्नाथ मिश्र—सम्भवतः विरोधी दल के नेता विदेशी व्यापार के आंकड़ों को देख नहीं पाये। 1979-80 में 1,685 करोड़ रुपये वायल इम्पोर्ट हुआ। अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति के कारण, तेल की क़ीमत बढ़ने के कारण 5,500 करोड़ का असर हमारे मुद्रा कोष पर हो गया। घाटा हमारी कमजोरी के कारण नहीं है, अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति के कारण हुआ।

श्री कर्पूरी ठाकुर—अब कबूल कर लिया इन्होंने।

डॉ० जगन्नाथ मिश्र—हमने आपको फर्क समझाया कि फोरेन एक्सचेन्ज रिजर्व और विदेशी व्यापार क्या है? अभी हमने केवल व्यापार की बात कही, उसको आपने पकड़ लिया। इसलिये अध्यक्ष जी, आज जो आर्थिक परिस्थिति है, जिसे श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासन ने अर्जित किया है, वे बेमिसाल है। देश में औद्योगिक माहौल बना है, श्रम संस्थानों में प्रोत्साहन का माहौल बना है और 1979-80 की तुलना में निजी निवेश में, प्राइवेट इनभेस्टमेन्ट में चार गुना की बढ़ोत्तरी हुई है और हमने श्रमिक आन्दोलन पर काबू पाया है, बिजली का उत्पादन बढ़ाया है, कोयले का उत्पादन बढ़ाया है, इनभेस्टमेन्ट बढ़ाया है, यह साबित करता है कि हमारी सरकार विनियोग करती है, लेकिन उससे नुकसान नहीं हुआ है, उससे एक नया माहौल बना है और उसको हम एक इनसेन्टिव मानते हैं, इसलिये कि 1979-80 की तुलना में 1980-81 और 1981-82 में प्राइवेट इनभेस्टमेन्ट में चारगुना बढ़ोत्तरी हुई है। निजी निवेश वालों को हमारी नीति पर और हमारे लोकप्रिय नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी पर जो भरोसा हुआ है, जो कॉन्फिडेन्स हुआ है, वह किसी भारतवासी के फख्र की बात है लेकिन आप उन बातों की चर्चा न कर, उनको नकारने की कोशिश करते हैं, यही आज इस देश में विरोधी दल के लोगों में परिपाटी बन गयी है। इस देश में एक ऐसा नया माहौल बनने जा रहा है जो दुनिया के कुछ देशों को बर्दास्त नहीं हो रहा है। आज आर्थिक कठिनाइयों को दूर किया जा रहा है। इसके बावजूद देश में इस बात का बराबर प्रचार किया जा रहा है कि जितना श्रीमती इन्दिरा गांधी ने वादा किया, वह पूरा नहीं किया जा रहा है। मैं जो

कह रहा हूं वह आंकड़ा मेरा नहीं है, भारत सरकार का नहीं है, राष्ट्रीकृत बैंकों के विशेषज्ञों ने जो जायजा लिया है, उसे मैं कह रहा हूं। आपने समाचार पत्रों में देखा होगा, विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत की अवस्था इतनी सुधरी हुई है जैसी पहले नहीं थी। इन पर आपको भरोसा नहीं है, तो देश की प्रगति का क्या होगा ?

दो-तीन बातों की चर्चा मैं विशेष रूप से करना चाहता हूं। विरोधी दल के नेता को आंकड़ा पढ़ने का अभ्यास है, चूंकि उनकी सारी जिन्दगी आंकड़ों को इकट्ठा करने में लगा है। लेकिन मैं आंकड़ों में ज्यादा नहीं जाता। विधि व्यवस्था हमारे सूबे में दो सालों में अगर सुधरी नहीं है तो, इससे अच्छा कब थी, इसका अंदाज हम करें। जिस मजबूती से इसमें सुधार लाने के लिये हमने अभियान चलाया है, विगत अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक हमने अपराधकर्मियों को पकड़ने की कोशिश की और 72,697 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया।

अपराधी और जनता के बीच में तथा अपराधी और पुलिस के बीच में और दो दलों के मुठभेड़ में 159 लोग मारे गये और 191 क्रिमनल घायल हुए। 2429 अनलाइसेंस आर्म्स रिकभर किये गये। इसको मैंने पहले भी कहा कि श्री कर्पूरी ठाकुर की बुद्धि का जवाब नहीं है (शोर गुल)।

इन्होंने सर्कुलर निकाला कि कोई पुलिस अपराध को लिखेगा तो उसको निलंबित कर दिया जायगा। लेकिन हमने कहा कि जो हकीकत है उसको स्वीकार करें।

श्री कर्पूरी ठाकुर—ऐसा काम आप करते हैं, हमने नहीं किया।

डॉ॰ जगन्नाथ मिश्र—हमने कहा है कि जो भी अधिकारी अपराधों को

दबायेगा यानी उसको दबाने की चेष्टा करेगा वैसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कारंवाई करने का आदेश दिया है ताकि अपराधों की रोकथाम बढ़ी

मजबूती से हो सके। इसलिये विधि व्यवस्था को मजबूत करने के लिये पुलिस संगठन को काफी आधुनिक बनाया गया है।

श्री कर्पूरी ठाकुर— यह काम आपने नहीं किया है, मजबूत हमने बनाया है। पुलिस कमीशन की रिपोर्ट पर आपने कुछ नहीं किया।

(सदन में शोर गुल)।

डॉ॰ जगन्नाथ मिश्र—आप तो एक थाना नहीं बना सके। मधेपुरा को जिला नहीं बना सके। आपने आश्वासन देकर कुछ नहीं किया। आपने इंपोरशंबी घोषणा की। आप इपोरशंबी घोषणा करते हैं और काम कांग्रेस करती है। आपने एक थाना नहीं बनाया, एक पुलिस को बहाल नहीं किया, एक दफादार बहाल नहीं किया। इस तरह हमने पुलिस संगठन को काफी मजबूत बनाने को कोशिश की है। कमजोर वर्ग के लिए श्री कर्पूरी ठाकुर ने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ घोषणा की। हमने कमजोर वर्ग के लिये दस हरिजन थाना बनाया है। चार स्पेशल कोर्ट की स्थापना की—बेलछी, विश्रामपुर आदि की घटनाओं को देखने के लिये।

(सदन में शोर गुल)।

श्री कर्पूरी ठाकुर—बेलछी और विश्रामपुर में आपके जमाने में ज्यादे लोग मारे गये।

डॉ॰ जगन्नाथ मिश्र—आपके शासनकाल में यह सब हुआ। आप बिहार की जनता को गुमराह नहीं कर सकते हैं, आपका असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है। श्रीमती इन्दिरा गांधी के पोलिटिकल डिटरमिनेशन पर फख्र होना चाहिए। आप पौने दो साल तक रहे लेकिन कोर्ट में एक भी मुकदमा हरिजनों का नहीं लाया गया।

लेकिन हमारे शासन-काल में इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में ऐसे सारे मामलों की सुनवाई कोर्ट में भेजवायी गयी। विशेष अदालतें इसके लिये बनवायी गयी। अध्यक्ष जी, यह सुनकर आपको खुशी होगी कि 98 आदमी को आजीवन कैद की सजा दिलवायी तथा 7 आदमी को मौत की सजा दी गयी। इस देश में ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि हरिजन पर अन्याय करने वाले को इस तरह से दण्डित किया गया हो। हमने विधि-व्यवस्था को मजबूत करने के ख्याल से, इस देश के हरिजन-आदिवासी को सुरक्षा देने के ख्याल से बहुत सारे उपाय किये हैं। हमारी सरकार ने हरिजन-आदिवासी के मुकदमा के लिये स्पेशल कोर्ट का प्रावधान किया है। हमारी सरकार ने यह फैसला लिया है कि गरीबों को जो हमने जमीन दी है यदि उसको उससे कोई बेदखल करता है तो उसको एक साल का कैद देंगे तथा 2 हजार रुपया जुर्माना देंगे। 20-सूत्री कार्यक्रम, जो प्रधानमंत्री ने ने दिया है, उसको काफी तीव्रता और तेजी से हम लागू करना चाहते हैं। देश की प्रगति के लिये इन्दिरा गांधी को काफी बेचैनी है, हमारी कांग्रेस पार्टी को काफी बेचैनी है। हमारे चुनाव के जो वायदे हैं उनको छठी पंचवर्षीय योजना जो तैयार का गयी है, जो उद्देश्य तैयार किये गये हैं उसको पूरा करने लिये प्रधान मंत्री ने 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम शुरू किया है। बजट भाषण में हमने इस बात की घोषणा की है कि बिहार सूबे की छठी पंचवर्षीय योजना के दूसरी वार्षिक योजना को पूरा का पूरा 20-सूत्री कार्यक्रम पर ढाल दिया है। सदन को हमने सूचना दी है कि 670 करोड़ की वार्षिक योजना मंजूर हुई है। 20-सूत्री कार्यक्रम एक हकीकत है, हमारे जीवन का एक अंग है। हमारी सरकार का यह एक अंग है। (शोरगुल) हुजूर, हमारी यह कोशिश है कि हमारे बजट का जो पैसा है वह समाज के सभी तबके के लोगों तक पहुंचे। हमने कमजोर वर्ग के लोगों को विशेष लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। 1982-83 का साल प्रधान मंत्री के द्वारा उत्पादन वर्ष के नाम से घोषित किया गया है। हमने अपने प्रदेश की ओर से स्वागत करते हुए कहा था कि देश के जीवन में ऐसा समय आया है कि जो विनियोग हमने सभी क्षेत्रों में किया है उस विनियोग का अधिकतम लाभ लिया जाय तथा उत्पादन बढ़ाया जाय। 1981-82 का साल प्रतिष्ठानों के मुनाफा का साल है। इसके पहले सभी प्रतिष्ठानों में घाटा की हालत बनी हुई थी। इस प्रकार उद्योग के क्षेत्र में हमने प्रगति की है और वह इस बात का सबूत है कि प्रधान मंत्री के नेतृत्व में प्रतिष्ठानों में कामों में सुधार आया है।

20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम है कि सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में उत्पादकता बढ़ाना है, साधन का मुहैय्या करना है और जो हमारे घाटे हैं, उनको पाटने की आवश्यकता है। यह जो हमारे प्रधान मंत्री का कार्यक्रम है उसको हमने स्वीकार किया है और अपने प्रदेश के जितने भी प्रतिष्ठान हैं उनके अध्यक्षों की बैठक हमने आयोजित की है और प्रधान मंत्री के कार्यक्रमों की चर्चा करते हुए कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के घाटे को पाटने के लिये प्रोफिट ओरियेन्टेड काम होना चाहिये। हमारी जो जिम्मेवारी है उसकी एकाउन्टेब्लीटी होनी चाहिये। हमने अपने बजट भाषण में इस बात की घोषणा की है कि बिहार के सभी प्रतिष्ठानों में दायित्व निर्धारित करने जा रहे हैं और जिस विभाग की जिम्मेवारी होगी कि समय पर काम पूरा करें। जो समय पर अच्छा काम करेंगे उनको हम इनाम देंगे और नहीं करेंगे तो उनको दंडित भी करेंगे। मैंने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है, राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधान मंत्री से कहा है, इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है कि जो हमारे प्रतिष्ठानों के प्रबन्ध निदेशक हैं, समय पर यदि लक्ष्य की पूर्ति नहीं करेंगे, तो उनको सेवा मुक्त भी कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में बिजली का उत्पादन बढ़ा है। हमारी चेष्टा है कि बिजली उत्पादन और बढ़े ताकि हमारी जो जरूरत है उसकी पूर्ति की जा सके। राष्ट्रीय औसत पर बिजली का उत्पादन में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है और बिहार राज्य में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। 1982-83 में हमें 220 मे० वा० बिजली और उत्पादन करना चाहते हैं। बरौनी और पतरातु में 110-110 मे० वा० जनरेट करना चाहते हैं और यह 1982 के अन्त तक हो जायगा जिससे बिजली आपूर्ति में सैकड़े 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

(सदन में विरोध पक्ष की ओर से शोर-गुल के बीच माननीय मुख्य मंत्री डॉ० जगन्नाथ मिश्र बोलते रहे, आवाज स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ी)।

निजी क्षेत्रों में जो बिजली जेनरेटर बैठाना चाहेंगे, उनको उद्योग विभाग की ओर इन्सेंटिव देने का प्रावधान किया है। इससे निजी क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और 5 लाख रुपये तक सरकारी सहायता देने का प्रावधान

किया है। हमने हाइड्रल पावर डेभलापमेन्ट कारपोरेशन बनाया है जिसके चेयरमैन प्रसिद्ध इन्जीनियर एन० सिन्हा को बनाया है। 10--30 मे० वा० तक पनबिजली का कारखाना हमारे प्रदेश में बनाया जा सकता है, इसका सर्वेक्षण हमने कराया है। थर्मल पावर से ही हमारे प्रदेश की बिजली की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती है, इसलिये हमने इसकी समीक्षा करवायी है और जो प्रारम्भिक सर्वे करवाया है, उसके आधार पर एक हाइडल डेभलपमेन्ट कारपोरेशन 50 करोड़ की लागत से रजिस्ट्रेशन कराने का निर्णय लिया है। इस साल भारत सरकार से और दूसरे देशों से सहायता लेकर वन, बिजली उत्पादन का काम बढ़ाना चाहते हैं। स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट से जो बिजली मिलती है, उससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती है, इसलिये हमने गैस टरबाइन लगाने का अनुरोध भारत सरकार से किया है, यदि भारत सरकार से इसकी मंजूरी मिल गया तो अगले 8 महीने में बिजली की हमारी जो समस्या है, वह हल हो जायगी। 1981-82 में हमारी जो योजनाएं स्वीकृत थीं वह 36 नयी योजनाएं हैं और उनको हमने कार्यान्वित करने का फैसला किया है। कुछ योजनाओं के लिये हमने गैर योजना मद मे भी स्वीकृत किया है। सदन को इस बात को जानकर प्रसन्नता होनी चाहिये कि इन 36 योजनाओं को हमने अंतिम रूप देने का फैसला किया है।

अध्यक्ष महोदय, हमारा जो राष्ट्रीय नियोजन का कार्यक्रम है, 71 प्रखंडों में गारन्टी योजना लागू किया है और अन्य प्रखंडों में लागू करने जा रहे हैं। साथ-ही-साथ हमारे प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या काफी है। हमने उनको सांकेतिक भत्ता देने के लिये 12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। यह कार्यक्रम चालू हो गया है और अगले साल तक इसको पूरा कर देंगे।

सामूहिक जीवन बीमा योजना को लागू करने की हमने घोषणा की है। इससे खेतीहर मजदूर, ईंट मजदूर, पत्थर मजदूर यदि किसी घटना के शिकार हुए तो वे इससे लाभान्वित होंगे।

किसानों को बिजली बिल का बकाया जो था उसका 75 प्रतिशत हमने माफी का एलान किया और 8 करोड़ रुपया बिजली बोर्ड का बकाया सरकारी

खजाने से भुगतान किया। भूमि विकास बैंक का जो कर्जा किसानों पर था, उसको माफ किया और 8 करोड़ रुपया सरकार ने भुगतान किया। सहकारिता बैंक के कर्ज को माफ किया और 8 करोड़ रुपया सरकार की ओर से भुगतान करने की मंजूरी दी। इस तरह कुल 24 करोड़ रुपया सरकारी खजाने से किसानों के कर्ज और बिजली बोर्ड के बकाये का भुगतान किया।

(विरोधी पक्ष की ओर से काफी शोर-गुल होता रहा।)

(इस अवसर पर विरोधी बेन्च के सदस्यों ने वाक आउट किया।)

पहले भ्रष्टाचार की चर्चा मैंने इसलिए नहीं की कि शुरू में लोग भाग जाते, पहले अच्छी बातें सुन लें तब भ्रष्टाचार की चर्चा करूं। मैं असली रूप उनका दिखानेवाला हूं कि क्या उनका रूप था? श्री कर्पूरी ठाकुरजी ने एक बात उठाई थी सचिवालय मुद्रणालय प्रेस गुलजारबाग में 9 लाख रुपये का मनोरंजन कर मुद्रण के सम्बन्ध में। सचिवालय मुद्रणालय प्रेस, गुलजारबाग में मनोरंजन कर का स्टाम्प 1976-77 तक मुद्रण हुआ था। इसका अंकेक्षण मुख्य लेखा नियंत्रण से कराया गया। आपूर्त्ति की गयी रकम के स्थान पर कोई अन्तर नहीं है। 7 करोड़ 55 लाख रुपये के स्टाम्प का सत्यापन किया गया है। मुख्य लेखा नियंत्रक का स्पष्ट मत है कि मनोरंजन कर स्टाम्प के मुद्रण मद में कोई अनियमितता नहीं है। श्री कर्पूरी ठाकुर ने जो कुछ कहा था वह बिल्कुल बेबुनियाद है, असत्य है।

नामधारी जी की ओर से भ्रष्टाचार की बातें कही जाती हैं। पिछले सत्र में मैंने कह दिया है कि भ्रष्टाचार में स्वयं वे लिप्त थे और किस तरह पलामू बस मालिक की हैसियत से उन्होंने पद का दुरुपयोग किया। मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं। लेकिन एक बात का जिक्र करना चाहता हूं कि किस तरह ये और श्री कैलाशपति मिश्र जी जनता पार्टी के शासन काल में, नामधारी जी की पार्टी की तरफ से भ्रष्टाचार की चर्चा होती है तो लगता है कि शर्म से सर झूक जायगा। श्री कैलाशपति मिश्र का आर्डर है। प्रभात जर्दा फैक्टरी को 20 करोड़ रुपये का ट्रन्जैक्शन है। 20 करोड़ रुपये पर टैक्स उन्होंने लगाया अपने मन से।

औफिस पूछे जाने पर विरोध किया तो सीधे अपनी कलम से माफ किया। विगान टिप्पणी लिखा विरुद्ध में लेकिन उन्होंने माफ किया। इस भ्रष्टाचार की बात मैंने कही थी उस समय के विरोधी दल के नेता की हैसियत से। लाखों-लाख गोलमाल करनेवाले आदमी भ्रष्टाचार की बात करेंगे। श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने गांधी मैदान में गलत आरोप लगाया है और ऐसे लोगों ने उनके पार्टी के। उनके पार्टी के श्री ठाकुर प्रसाद के भ्रष्टाचार के बारे में कहा गया। उन्होंने लिखा है (1) प्रभात जर्दा फैक्टरी को सम्पन्न कराया जाय। (2) प्रभात जर्दा फैक्टरी से निर्मित जर्दा का क्या कीमत है और दूसरे जर्दा का क्या कीमत है इसका अध्ययन किया जाय। (3) लागत खर्च, बिक्री कर का अध्ययन किया जाय और तब कोई फैसला किया जाय।

श्री कैलाशपति मिश्र ने लिखा कि बिक्री-कर समाप्त करने का प्रस्ताव तुरत लाया जाय। इसके बार फिर इसका विरोध करते हुए लिखा गया लेकिन उन्होंने लिखा कि जर्दा पर से बिक्री-कर पूर्ण रूप से मुक्त किया जाता है। इसके लिए कोई मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति नहीं ली गई। हुजूर, 20 करोड़ रुपये का जिसका कारोबार हो और उसका सेल्स टैक्स माफ कर दिया तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार के आरोप का कोई दूसरा सबूत हो सकता है क्या? अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारा खिलाफ, हमारी सरकार के खिलाफ क्यों देहातों को छोड़कर देश के पैमाने पर बिहार को चुनकर कर क्यों यहां सम्मेलन किया? इनका यह आचरण पूर्णतया राजनीतिक, पूर्णतया बदले की भावना से ओत-प्रोत है और हमारे मनोबल को और हमारी सरकार के मनोबल को तोड़ने की कोशिश की गई है। और यह तबसे हो रहा है जब से जितेन्द्र नारायण सिन्हा कमीशन ने अपना रिपोर्ट पेश की। जितेन्द्र नारायण सिन्हा कमीशन जिसकी बहाली कैलाशपति मिश्र ने की थी। कर्पूरी ठाकुर के मंत्रिमंडल ने बैठाया था। हमने उस कमीशन में कोई तब्दीला नहीं की, उसके किसी मेम्बर को हमने नहीं

बदला। उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। उस कमीशन ने क्या रिपोर्ट दी उसके एक-दो उद्धरण का हवाला मैं दे देना चाहता हूं। इस कमीशन की रिपोर्ट पर अटल बिहारी वाजपेयी की बौखलाहट है, देवरस की बौखलाहट है और कैलाशपति मिश्र की बौखलाहट है और आर०एस०एस० को बौखलाहट है। उनमें बौखलाहट इसलिए है कि जितेन्द्र नारायण सिन्हा कमीशन ने सच्चाई को बिल्कुल साफ करके अपने रिपोर्ट में पेश किया है। आयोग के सामने में जो साक्ष्य थे, उसपर विचार-विमर्श करने के बाद आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि आर०एस०एस० जिसके कारण जमशेदपुर का साम्प्रदायिक दंगा हुआ वह भारतीय जनसंघ और मजदूर संघ से सम्बद्ध है, उसने शहर में ऐसा वातावरण बना दिया जिसमें साम्प्रदायिक दंगा भड़क सकता था। दूसरे पाराग्राफ में उसने जिक्र किया है कि श्री दीनानाथ पाण्डे आर०एस०एस० के सदस्य हैं और उनकी सभी हरकतें जमशेदपुर के हिन्दू साम्प्रदायिक तत्वों की भावना से प्रेरित थे और उनके पीछे ये सारी भावनायें कार्य कर रही थी। शहर में नोटिस बांटे गए जिनका मुख्य उद्देश्य शहर में साम्प्रदायिक दंगा भड़काना था। उस आयोग ने रिपोर्ट के अन्त में कहा है कि हिन्दू सम्प्रदायिक तत्व ही वहां साम्प्रदायिक भावना को जगाया और वही दंगा को भड़काने का कारण बना। इस दंगा में आर०एस०एस० के लोगों ने पूरा साथ दिया। आयोग ने स्पष्ट रूप से जिम्मेवार ठहराया है कि 30 मार्च के अपने भाषण में देवरस ने साम्प्रदायिक तत्वों को जगाया। आयोग ने दीनानाथ पाण्डे के साथ-साथ दर्जनों कार्यकर्त्ताओं को जो आर०एस०एस० से संबंधित है प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया। अध्यक्ष महोदय, हमारा क्या कसूर है? हमने उस प्रतिवेदन को प्रकाशित कर दिया। जो हकीकत था जनता के सामने रख दिया। लेकिन कैलाशपति मिश्रा का व्यान हुआ कि कमीशन की रिपोर्ट पर मुख्य मंत्री के कक्ष में हस्ताक्षर करवाया गया है। इसपर अटलबिहारी वाजपेयी, देवरस का देश के पैमाने पर भाषण होने लगा लेकिन कमीशन ने हकीकत को प्रतिवेदन में दिया है। उस कमीशन की रिपोर्ट के बाद हमारी सरकार ने फैसला लिया है। इसपर हमारे मंत्रिपरिषद् की उप-समिति ने गम्भीरता से विचार किया फिर उसको हमारे मंत्रिमंडल के सामने लाया गया तो हमने फैसला लिया कि आर०एस०एस०, जमायते इस्लामी और आनन्द मार्ग की कारंबाई को रोकी जाय और किसी को भी सार्वजनिक जगहों जैसे नगरपालिका

के स्कूल भवन के अहाते में शाखा नहीं लगाई जाय और दूसरा फैसला यह लिया कि सरकारी कर्मचारी, विश्वविद्यालय के, स्कूल के शिक्षक आर०एस० एस०, आनन्द मार्ग के, जमायते इस्लामी के सदस्य नहीं बन सकते हैं और हमने फैसला लिया कि ऐसे सभी संगठनों की कार्रवाई पर रोक लगाने की समुचित कार्रवाई की जाय।

हमने फैसला लिया है कि इन संस्थाओं के सह से जो संस्थायें चलती हैं उसे बंद किया जाये। इन्हें सरकारी सहायता नहीं दी जाये। हमने फैसला लिया कि दंगे को समाप्त करने के ख्याल से विशेष अदालतें गठित की जायें। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि बिहार शरीफ के दंगे में जो अत्याचार हुआ उसके लिए हमने विशेष अदालत बैठाया जो अत्याचार हरिजनों पर हुए हैं वैसे जुल्म करने वालों को हमने दंडित किया है। बिहार शरीफ में हमने हाई कोर्ट की सहायता से एक विशेष अदालत बिठाया। आपने अखबारों में देखा होगा कि दंगा करने वाले को सजा हो चुकी है। जमशेदपुर के लिए भी इस तरह का विशेष अदालत हाईकोर्ट की सहायता से बनाया। इससे आर० एस० एस० के लोगों में घबराहट है क्यों कि हमने देश के सामने उनकी सच्ची तस्वीर को पेश कर दिया। इसलिए बेबुनियाद, बिना किसी आधार का आरोप लगाने का सिलसिला शुरू किया गया। आश्चर्य होता है कि जो मेमोरेन्डम उन्होंने राज्यपाल को पेश किया उस मेमोरेन्डम में सारी बातें मनगढ़ंत कहानी है, सच्चाई से भिन्न है। मैं इसके डिटेल नहीं जाना चाहता। उसमें पुरानी बातों को दुहराया गया है जिसको श्री कर्पूरी ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था और जिसका जवाब मैंने हर बिन्दुओं पर दिया था और जवाब देने के बाद उनका मुंह बन्द हो गया था क्योंकि उनकी गलत और झूठी बातें कबतक टिकती। श्री कर्पूरी ठाकुर की बात को ही मेमोरेन्डम में राज्यपाल को दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, जनता अंतिम अदालत है। उसके फैसले पर सरकार बनती है, चलती है, बदलती है, बीच में किसी को क्या हक है? इसलिए मेरा सीधा आरोप है कि विरोधी पार्टियों के साथ भारतीय जनता पर्टी जो एक साम्प्रदायिक पार्टी है, पूंजीवादों को बढ़ावा देने वाली पार्टी है, बड़े-बड़े सेठ-साहूकारों की पार्टी है, नाजायज करने वालों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने डालटनगंज में एक सम्मेलन किया था। हमारी पार्टी के विधायकों का कहना है कि एक करोड़ रुपया सम्मेलन में खर्च हुआ। वह रुपया कहां से आया? अगर चोर बाजारी, डाका

करनेवालों ने रुपया नहीं दिया तो कहां से खर्च हुआ ? उस पार्टी की तरफ से इस तरह की बात करना लोकतंत्र की परम्परा को तोड़ने की है। अध्यक्ष जी, आज अखबार में देखा होगा कि बनारस के सी० पी० आई० सम्मेलन में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी के खिलाफ सबसे बड़ी पार्टी है। प्रस्ताव में था कि भारतीय जनता पार्टी जमहुरियत की बात नहीं सोच सकती, समाजवाद, सेक्युलरिज्म की बात नहीं सोच सकती। ऐसी पार्टी से इस लोकतंत्र को बहुत खतरा है। राष्ट्रीय जीवन में ऐसा मामला आया है कि ऐसे पार्टी के कारंवाइयों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि इस तरह से अगर लोकतंत्रीय सरकार को मास आन्दोलन से तोड़ने का बढ़ावा दिया जाय, माहौल बनाया जाय तो ऐसी पार्टी का क्या माने रह जाता है। अध्यक्ष जी, श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने भाषण किया कि सरकार को तोड़ो. सरकार को बदलो। लेकिन इसका तरीका 1985 का आम निर्वाचन है उससे पहले नहीं है। अध्यक्ष जी, मैंने सदन में भ्रष्टाचार के खिलाफ बार-बार घोषणा किया अपने बारे में, अपने मंत्रियों के बारे में कि जिसके ऊपर आरोप हो सबूत के साथ, एफिडेविट के साथ पेश करें हम उसकी जांच कराने के लिए तैयार होंगे : लोकतंत्र बना है। लेकिन भ्रष्टाचार का राजनीति का जमहुरियत हथकंडा नहीं हो सकता है। जब चाहें जो आरोप लगा लें, बिना जिम्मेवारी के यह नहीं होना चाहिए। अगर जिम्मेवारी के साथ आरोप है, सबूत है तो आरोप जांच कराने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष जी, अभी जो लोकायुक्त अधिनियम है उसमें मुख्य मंत्री को दायरे से अलग रखा गया है और केन्द्रीय स्तर पर कोई संस्था नहीं बनी है। मैं बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मंत्रियों के लिए जो संस्था बनी है उसमें अभी मुख्य मंत्री को बाहर रखा गया है। हम आयुक्त विधेयक में संशोधन करके मुख्य मंत्री को भी शामिल करना चाहते हैं। लोकायुक्त के सामने मुख्य मंत्री भी शामिल रहेंगे। अगर आरोप है, सबूत है तो मंत्रिमंडल के किसी सदस्य के साथ मुख्य मंत्री के खिलाफ जाने के लिए भी कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हमारे मंत्रिमंडल को तोड़ने के लिए, झूठी बातों का सहारा लेकर कोई आरोप लगाया जाता है तो लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा। इस तरह का वातावरण बनाया जायगा तो लोकतंत्र की जड़ें मजबूत नहीं होगी। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि जिम्मेवारी के साथ विरोधी दल को काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इस जिम्मेवारी का निर्वाह उन्होंने नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बात की पूरी चेष्टा की

है कि प्रशासन में भ्रष्टाचार को कैसे दूर किया जाय। नियुक्तियों में अनियमितताएं और बेईमानी होती थी हमने नियम बनाया की जो अभी व्यवस्था है जो आदेश है, उसके खिलाफ कोई नियुक्ति होगी, और जो आरोप आयगा तो उसकी जांच करायी जाय। इसके लिए एक चलन्त दस्ता बनेगा जहां अनियमितता होती है उसकी जांच की जायगी, आरोप सिद्ध होने पर संबंधित अधिकारियों को ससपेंड किया जायगा, सरकारी नौकरी से बरखास्त किया जायगा। अध्यक्ष महोदय, हमने फैसला किया है कि आरक्षण की नीति दृढ़ता से लागू हो। हम इसको दृढ़ता से लागू करना चाहते हैं। न्यायपालिका ने अबतक पूरी-पूरी इसका पालन नहीं किया है। हमने आदेश दिया है कि आरक्षण को जो नीति है वह न्यायपालिका में भी लागू किया जाय पूरी तरह से। जो हमारा कार्यक्रम है फैसला है उसको लागू किया जाय। आरक्षण सम्बन्धी नियमों का जो पालन नहीं करेंगे वैसे अधिकारी को निलंबित करने की कार्रवाई होगी, बरखास्त करने की कारंवाई होगी। सभी स्तर के लंबित मामलों को जल्द से जल्द निष्पादन कराने की व्यवस्था करायी जाय। अध्यक्ष महोदय, बजट भाषण में आपने पढ़ा होगा हमने जिला योजना का कंसेप्ट लागू करने का फैसला किया है। सारी शक्ति अभी सचिवालय में केन्द्रित है और जिसके चलते बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का कारण हो रहा है। इसलिए सचिवालय की शक्तियों को जिला में ले जाने का सिद्धांत मंजूर किया। बजट भाषण में सचिवालय शक्ति का विकेन्द्रीयकरण करेंगे। 70 प्रतिशत खर्च यहां से करेंगे और 30 प्रतिशत जिला से खर्च होगा। जिला में जो आबंटन का पैसा जायेगा वह दूसरे जिला में नहीं जायगा। किसी जिले को ज्यादा किसी जिलों को कम, किसी प्रखंड को ज्यादा किसी प्रखण्ड को कम राशि आवंटित करने का जो सिलसिला था उसको बन्द कराने का फैसला किया है अगर यह फैसला पूरा का पूरा लागू हो जाय तो गांव की जनता वास्तविक खर्च का भागी हो जायेगी। यह हमारी चेष्टा है। बेरोजगारी की जो चर्चा श्री कर्पूरी ठाकुर ने अपने संशोधन में की है वह राष्ट्रीय समस्या है। यह काम तत्क्षण नहीं हो सकता है। हमारे नियोजनालयों में 22 लाख आदमियों का नाम दर्ज है जिसमें 9 लाख पढ़े-लिखे लोग हैं जिनको रोजगार देना है। छठी पंचवर्षीय योजना में 2.4 प्रतिशत बेरोजगारों की संख्या है, जो आगे चलकर 3.4 प्रतिशत होने की सम्भावना है।

बेरोजगारी की संख्या में वृद्धि हो रही है लेकिन उनकी संख्या कम करने के लिये और उन लोगों को रोजगार दिलाने के लिये भी हमने योजना बनायी है। उनलोगों के लिये हमने आत्म नियोजन का कार्यक्रम चलाया है। टेकनीशियन को इस योजना के अधीन हम दस हजार तक का ऋण देंगे अपना रोजगार शुरू करने के लिये। इसके अलावा हमने सांकेतिक भत्ता भी देने का कार्यक्रम चलाया है। 1982-83 के अधीन इस सांकेतिक भत्ता को एक नया रूप देने का फैसला किया है। अभी सिर्फ 50 रुपया ही सांकेतिक भत्ता देने का प्रावधान किया था लेकिन अब हम उसे भी बढ़ाने जा रहे हैं। इन लोगों से हम साल में सौ दिन काम लेंगे। ऐसे लोग जो काम करने आयेंगे उन्हें अब छः सौ के बदले आठ सौ मिलेगा। इसी तरह से परिवार नियोजन का कार्यक्रम को भी हम हर गांव तक पहुंचा देना चाहते हैं। बिहार में अभी 67 हजार गांव हैं। हम लोगों में इसके प्रति जागृति पैदा करना चाहते हैं। इसी पचास रुपया सांकेतिक भत्ता पाने वाले से हम परिवार नियोजन का काम लेंगे। उन्हीं लोगों को हम 75 रुपया और अधिक देकर यह काम लेंगे। उसका नतीजा यह होगा कि उन लोगों को रोजगार मिल जायेगा और पचास रुपये के बदले 125 रुपया प्रति माह मिला करेगा। साथ ही हमारी यह भी चेष्टा है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिये भी और लोगों के जैसे अलग से नियोजनालय की व्यवस्था करें। यह नियोजनालय अभी एक पटना में स्थापित भी कर दिया गया है और इसके अलावा रांची में भी स्थापित करने की हमारी योजना है जिससे उनका निबन्धन हो सके और उनको भी उसके जरिये काम दिया सके। इसके अलावा हमारी यह भी योजना है कि सरकार की ओर से जो भी दूकान किसी शहर में बने आवंटन के लिये उसमें से हरिजनों और आदिवासियों के लिये भी कुछ आरक्षित किया जाय। यह फैसला हमने कर लिया है। इन लोगों के लिये जो वित्त निगम है वह इन लोगों को यह महाजन चार प्रतिशत व्याज पर देगा। हरिजनों और आदिवासियों को छोटे और मझोले उद्योग खड़ा करने के लिये भी वित्त निगम से अनिवार्य रूप से सहायता देने का निर्णय लिया गया है। उन लोगों को ट्रैक्टर मरम्मत तथा उस तरह के और भी छोटे तथा मझोले उद्योग खड़ा करने के लिए मदद करेंगे। इस तरह से हम हर तरह के लोगों के नियोजन की सम्भावना बढ़ाने के लिये भी प्रयास कर रहे हैं। योजना में इसके लिये प्रावधान

भी किया जा चुका है। इसके अलावा छः आवासीय विद्यालय भी हरिजनों और आदिवासियों के लिये खोलने का निर्णय लिया है। इसके अलावा हाई स्कूलों की संख्या बढ़ाने का भी हमने निर्णय लिया है। हमने राज्य के 567 प्रखंडों में से प्रत्येक प्रखंड में एक आवासीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। जहां पर पहले हम 103 करोड़ रुपया ही खर्च करते थे। अब 1982-83 में इस मद पर 126 करोड़ रुपया खर्च करने का फैसला लिया है। 112 प्रखंडों में इस तरह के विद्यालय अभी खोलने हैं। इस तरह से हम चाहते हैं कि विकास के काम को और तेजी से बढ़ाया जाय। विरोधी दल के नेता श्री कर्पूरी ठाकुर हमारी योजना की आलोचना करते हैं। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि हमने छठी योजना में अपनी योजना का आकार बढ़ाया है जबकि उन्होंने अपने समय में योजना के आकार को घटा दिया था। हमारी योजना 507 करोड़ की है। हमारी योजना की समीक्षा योजना आयोग ने करके हमारी योजना में कटौती नहीं की है। बिजली बोर्ड के इतिहास में यह पहला वर्ष है जो पूरा का पूरा आवंटन हम खर्च करने जा रहे हैं। हम पूरी योजना को लागू करने को सोच रहे हैं। भारत सरकार ने भी इसकी स्वीकृति दे दी है। 1980-81 और 1981-82 के लिये योजना आयोग ने पूरी स्वीकृति दे दी है हमारी योजना को।

हमारा परफार्मेंस अच्छा रहा है, इसी कारण 560 करोड़ की योजना 660 करोड़ की योजना हो गयी। हमारे रामलखन बाबू और श्री कर्पूरी ठाकुर को हमारी प्रगति नहीं दिखती है तो हम उनकी आंखों को तो नहीं बदल सकते, उनकी रोशनी नहीं बदल सकते। अगर प्रगति नहीं हुई होती, काम नहीं हो रहे होते तो हमारी प्रगति कैसे हो गयी? हमारे माननीय सदस्यों ने चर्चा की कि बिहार प्रदेश को यह फक्र है कि इतने बड़े व्यापक योजनाओं के कार्यान्वयन होने के बाद इतने बड़े-बड़े प्रोग्राम, सामाजिक कार्यक्रम चलाने के बावजूद ओभर-ड्राफ्ट में हमें अपने नहीं जाना पड़ा। हमने अपने साधन की मुहैया की। अध्यक्ष जी, आप विशेषज्ञ हैं, आप भी जानते हैं कि पीछे के वर्षों में योजनाओं को कार्यान्वित करने में इसलिये दिक्कत हुई कि आन्तरिक साधन की मुहैया नहीं की गयी, हमारा जो प्लान कमिटमेंट था वह पीछे के वर्षों में इसलिये पूरा नहीं हुआ कि पहली योजना से चौथी योजना तक, पांचवी योजना तक हमारी सीमा घटती रही। इस बार किसी भी हालत में हमारी सीमा नहीं घट सकती है और हमने जो

स्टेप लिया उससे 691 करोड़ किया। इसके अतिरिक्त 40 करोड़ करके 112 करोड़ रुपये और तीन साल में जमा करेंगे। छठी योजना में, मैंने कहा था 691 करोड़ और 112 करोड़ फाजिल मुहैया करेंगे। इस तरह हमने बिहार में बड़ी-बड़ी योजनायें चलाने का फैसला किया है ताकि बिहार की प्रगति को और तीव्र और तेज किया जा सके।

बजट भाषण में हमने यह भी बतलाया है कि इस प्रदेश में नये-नये उद्यमी जो उद्योग खड़ा करने के लिये आयेंगे, उनको किस तरह से सहायता की जायगी। बड़ी बात यह है कि ग्रामीण इलाके में जो उद्योग स्थापित करेंगे, जो जिला भारत सरकार से बैकवर्ड घोषित हैं, उनको 15 प्रतिशत का कैपिटल सब-सिडी प्राप्त करायी जा रही है, लेकिन बिहार के प्रशासन की तरफ से बाकी सभी जिलों को, आज 33 जिलों को पिछड़ा घोषित करके 15 प्रतिशत कैपिटल सब-सिडी देने की व्यवस्था की जा रही है, हम सिर्फ शहरी इलाके में ही विकास नहीं करना चाहते हैं, ग्रामीण इलाके में जो उद्यमी उद्योग लगाना चाहेंगे, उनको 30 प्रतिशत कैपिटल सब-सिडी मिलेगा, शहर में 15 प्रतिशत और ग्रामीण इलाकों के लिये 30 प्रतिशत सब-सिडी मिलेगा, औद्योगिक क्रान्ति करने की हमारी योजना है, क्योंकि हमारी यह मान्यता है कि इस प्रदेश की प्रगति तब तक नहीं होगी जब तक कि यहां उद्योगों का जाल नहीं बिछ जाय, जब तक हम व्यापक पैमाने पर उद्योग खड़ नहीं करेंगे, हमारा कोई भविष्य नहीं होगा, हमने इन बातों को बजट भाषण में विस्तार से कहा है। मैं सदन को बतलाना चाहता हूं कि पिछले दिनों लोक-सभा में भारत सरकार ने 82 जिलों को पिछड़ा घोषित किया है, इनमें बिहार का पांच जिला शामिल किया गया है, ये हैं पूर्णिया, सहरसा, औरंगाबाद, भोजपुर और नालन्दा, ये जो पांच जिला भारत सरकार द्वारा घोषित किये गये हैं, इनको भारत सरकार से विशेष सहायता मिलेगी। हमने 20 जिले को इस मार्च तक छठी योजनाओं के लिये शहरी समेकित विकास योजना, विकास के लिये मंजूर किया है, इन जिलों में व्यापक रूप से विकास कार्यक्रम तेज किये जायं और इन योजनाओं का कार्यान्वियन तेजी से किया जाय यह हमने फैसला लिया है। 20 जिलों को इस कार्यक्रम के तहत् हमने चुना है, ये जिले हैं, हाजीपुर, सहरसा, गोपालगंज, डालटनगंज, छपरा, दुमका, आरा, बेगूसराय, चाइबासा, देवघर, बेतिया, कटिहार, हजारीबाग, पूर्णिया, समस्तीपुर, सीतामढ़ी,

मधुबनी, मोतिहारी, गिरिडीह और धनबाद। जिन जिलों की आबादी एक लाख तक की है, ऐसे जिला मुख्यालय में से 20 को चुनकर भारत सरकार के पास मंजूरी के लिये भेजा है, इसमें 50 प्रतिशत हमारा सहायता होगा और 50 प्रतिशत सहायता भारत सरकार का होगा, इससे इन जिलों का विकास हो सकेगा। इन बातों से स्पष्ट संकेत मिलता है कि इन प्रदेश में विकास के कार्यक्रम, योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है और चलाई जा रही है, फिर भी विरोधी पक्ष के लोगों को यह बात नहीं दिखती है, उनको नजर नहीं आती है तो इसका जवाब हमारे पास नहीं है।

इसलिये विरोधी पक्ष के लोगों को यह बात नहीं दिखती हैं और यदि उनको नजर नहीं आती है तो उसका जवाब हमारे पास नहीं हो सकता है। एक बात की चर्चा माननीय सदस्य श्री इन्दर सिंह नामधारी ने किया है। वे कुछ लोगों को मकान देने की चर्चा कर रहे थे। उनका कहना था कि मकान देने में अनियमितता बरती गयी है। लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार किसी भी मुद्दे पर अनियमितता बरदास्त नहीं करती हैं। हमें जहां कहीं भी अनियमितता की जानकारी मिलती है हम मजबूती से उसके विरुद्ध कारंवाई करते हैं। शिकायत सुनकर ही हमने आवास बोर्ड को पुनर्गठित करने का आदेश दिया है और पूर्ण कालीन प्रबंध निदेशक हमने दे दिया है। साथ-ही हमने यह भी आदेश दिया है कि 23 अक्तूबर तक जो भी आवन्टन हुआ है उसको रद्द किया जाय और उससे पहले के अवंटन की भी समीक्षा किया जाय। मैंने यह भी आदेश दे रखा है कि यदि आवंटन में प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है तो प्रबन्ध निदेशक इसकी जांच कर प्रतिवेदन हमारे सामने दे। आवास बोर्ड ने कुछ मकान लोगों को हायर परचेज पर देने का फैसला किया था और इस तरह के मकान बनाकर लोगों को दिये भी गये हैं। इसमें जनता का पैसा लगा हुआ है। लेकिन बहुत से लोगों ने यह मकान लेकर किस्त नहीं दे रहे हैं सिर्फ एक किस्त देकर बैठे हुए हैं। सुखी सम्पन्न लोग यह मकान लेकर बैठे हुए हैं लेकिन पैसा नहीं दे रहे हैं तो हमने यह आदेश दे रखा है कि जो लोग इस तरह के मकान लेकर पैसा नहीं दे रहे हैं उन्हें नोटिस दी जाय कि वे यदि एक महीने में पिछली किस्त का सारा पैसा नहीं देते हैं तो उन्हें मकान से बेदखल करवा दिया जाय। पटना, गया, भागलपुर, जमशेदपुर, रांची, आदि स्थानों में आवास बोर्ड का बनाया हुआ सैकड़ों मकान वर्षों से पड़ा हुआ है उसका आवंटन नहीं हो रहा है

तो इसके लिये हमने आदेश दे दिया है कि प्रमंडलीय आयुक्त सहित एक कमिटी हर जगह बनाकर इन मकानों का आवंटन कर दिया जाय। इसकी आजतक बड़ी शिकायत होती रही है। हम कोई शिकायत नहीं सुनना चाहते हैं। इसके अलावा हमने आवास बोर्ड की प्रोसीडिंग्स भी मंगाकर देखा है। 1972 से ही आवास बोर्ड के अध्यक्ष को यह अधिकार है कि पांच प्रतिशत जमीन या मकान वे अपने स्वेच्छा से आवंटित कर सकते हैं। हमने देखा है कि इस आदेश का पालन अध्यक्ष ने बखूबी किया है इसके तहत जो सूची मैंने देखा है उसमें सभी दल के लोग हैं उसमें भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री राम सुन्दर दास की पत्नी, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, सांसद श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा भी हैं साथ ही कुछ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का भी नाम है। इसके अलावा सैकड़ों भूतपूर्व विधायक, मंत्री, अधिवक्ता, न्यायाधीश, और राजनीतिज्ञ हैं। यह सब आवंटन आवास बोर्ड के अध्यक्ष ने अपने प्रदत्त शक्ति के अनुसार ही दिया है। यह सही हुआ है। अनियमितता नहीं बरती गयी है। हम इतना अवश्य कहेंगे कि विरोधी पक्ष वाले हर बात को राजनीतिक रंग देने की चेष्टा न किया करें, यह निन्दनीय है। साथ ही विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में भी यहां काफी चर्चा हुई है। लेकिन मैं भी बता देना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय से हर तरह की बुराइयों को दूर करने के लिये हमने बड़े जोरदार ढंग से कोशिश की है। जिसका आज नतीजा है कि सभी विश्वविद्यालयों की बाकी पड़ी परीक्षायें पूरी हो गयी है और आगे की परीक्षा भी समय पर होने लगी। विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक में चर्चा हुई है। हमने कुलाधिपति को तुरत आदेश दिया कि सभी बहालियां रोक दी जाय और जांच प्रतिवेदन जब संतोषजनक आ जाय तब बहाली किया जाय जैसा कि इसके अध्यादेश में प्रावधान है। इस तरह से जो भी शिकायतें आती हैं चाहे वह विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में हो या आवास बोर्ड के बारे में हम तुरत कार्रवाई करते हैं। इसी तरह से मौर्यालोक के सम्बन्ध में शिकायतें आई तो हमने तुरत ऐक्शन लेना शुरू कर दिया।

अगर हमारी सरकार पर कोई आक्षेप लगता है तो हम उसकी जांच करवाते हैं। हम अपनी कमजोरी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर हमारी सरकार के किसी पदाधिकारी से कोई गलती होती है तो हम मजबूती के साथ उसपर कार्रवाई करते हैं। हम ईमानदारी और दृढ़ता से प्रदेश के शासन को चला

रहे हैं। यहां कितनी समस्यायें थीं जिनकों सुलझाने के लिए मुझे बड़ी से बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। बड़े मुश्किल से आज हमारे प्रदेश में एक अच्छा माहौल बना है जिस बातों की चर्चा राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में किया है वह बिलकुल हकिकत है और जिन बातों को मैंने आप से कहा है उन बातों को भी चर्चा राज्यपाल महोदय ने अंशतः अपने अभिभाषण में किया है लेकिन बेबुनियाद बात हमारे विरोधी दल के लोग बराबर किया करते हैं। मैं उन्हें चैलेन्ज करता हूं कि यदि वे किसी भी बात का आरोप लगावें तो वे साक्ष्य के साथ लगावें हमारे पास आवें तो हम निश्चित रूप से उसकी जांच कर कार्रवाई करेंगे। टकराव की राजनीति छोड़ें। बेबुनियाद इल्जाम न लगावें। आज विरोधी दल के लोग श्रीमती इन्दिरा गांधी की छवि और उनकी सरकार की छवि को राष्ट्रीय पैमाने पर बिगाड़ने की कोशिश कर रहे ह, जो उन्हें नहीं करनो करनी चाहिए। श्रीमती इन्दिरा गांधी की यदि विफलता हुई तो लोकतंत्र बचनेवाला नहीं है। इस देश के हित के लिए, समाजवाद के लिए श्रीमति इन्दिरा गांधी की ताकत को बढ़ाया जाय। आज उनकी ओर से ही हमारी पार्टी इस प्रदेश में शासन चला रही है। मैं उन माननीय-सदस्यों को आभार मानता हुं जो अच्छे से अच्छे सुझाव दिये हैं, हम उन पर जरूर विचार करेंगे, लेकिन जो बेबुनियाद बात रखे हैं मैं उसका विरोध करता हूं। विरोधी दल से बेबुनियाद वक्तव्य चाहे कितना भी अखबार के प्रथम पृष्ठ पर छपता रहे, बिहार की जनता उससे गुमराह होनेवाली नहीं है। सरकार प्रेस की आजादी और स्वतंत्रता रखना चाहती है लेकिन अखबार में अपना नाम छपवाने के लिए जो बेबुनियादि बातें विरोधी दल की ओर से रखी जाती है और जो सम्पादकोय छपता है उस पर प्रेस को सोचना चाहिए की क्या उचित है और क्या नहीं। कैसे यह लोकतंत्र बचेगा इसका भी ख्याल रखना चाहिए। जब श्री कर्पूरी ठाकुर की ओर से ब्यान छपा था तो हमने कहा था कि सरकार पूर्ण निष्ठा से काम करती है इसकी बात भी छापी जाय।

अध्यक्ष महोदय "न्यू वे" में जो बातें छपी हैं आपलोगों ने देखा है। अखबार में छापकर सरकार की छवि धुमिल किया है। बड़े अखबार वालों की तरफ से जो जाली किया जाता है और अनियमितता की जाती है, वह अनियमितता की बात क्या करेगा। इससे अखबार की मर्यादा नहीं बढ़ेगी, तो इसकी स्वतंत्रता

क्या होगी। बिहार के अखबारों ने भी कुछ ऐसी बातों को छापा है जिससे सरकार की छवि धूमिल हुआ है फिर भी सरकार ने कुछ नहीं किया है लेकिन जो लोग अखबारों की स्वतंत्रता की दुहाई देते हैं वह तामिलनाडू की ओर मुड़कर देखें। वहां तो हमारी सरकार नहीं है।

वहां डी० एम० के० का शासन है। उन्होंने अध्यादेश बनाया है अखबारों को नियंत्रित करने का काम किया है। देश के विरोधी पार्टियां क्या कर रही हैं ? तामिलनाडू ने प्रेस को नियंत्रित करने के लिये अध्यायादेश जारी किया है। दूसरे प्रदेश में जो अध्यादेश होता है तो उसका अध्ययन करने के लिये दूसरा प्रदेश उसको मांगता है। यह लम्बे-लम्बे शब्दों में अखबारों में छापे गये। अग्रलेख छापे गये हैं। वहां प्रेस की आजादी छीन ली गयी है। यह काम डी० एम० के० ने किया है और भारतीय जनता पार्टी करें तो ठीक है, दूसरी अन्य पार्टी करे तो ठीक है लेकिन कांग्रेस की तरफ से किया जाय तो बड़ी भारी जुल्म है। इसका क्या मतलब है ? एक प्रदेश में हो गया तो वह चर्चा का विषय नहीं है। हमने तो केवल यह अध्यादेश मांगाने के लिये कहा है हमने तो नहीं देखा कि लोक-सभा में इस तरह का कुछ हुआ और हमने यह भी नहीं देखा कि विरोधी पार्टियां इसको देख कर इस मिशाल पर विचार किया। ये भेद-भाव की बात करते हैं, और जमहूरियत की कोई सेवा नहीं कर सकते हैं। बड़ा बहुमूल्य सिस्टम है, सरकार को इस सिस्टम को रखने के लिये संयम चाहिए, बराबर अनुशासन चाहिए। यदि अनुशासन नहीं है, आत्म नियंत्रण नहीं है तो लोकतंत्र नहीं चल सकता। दूध नाम पर आरोप लगाने का काम ये करते हैं जो कल जालसाजी करते हैं। इस सदन के माननीय सदस्य बाजार से हथकड़ी खरीदते है और हथकड़ी लगाकर इस सदन में आते हैं। इस तरह से सदन में धांधली करने तथा जालसाजी पर तो मुकदमा चल सकता है। इस तरह से कोई माननीय सदस्य जुल्म कर सकता है और नाटकीय ढंग से इस सदन में प्रवेश किया और हथकड़ी लगाकर सारे सदन को आश्चर्यचकित कर दिया। इस तरह का हौसला किसी भी सदस्य को नहीं होना चाहिए। यह सार्वभौम सत्ता है और सार्वभौम जनता की प्रतिमा है। किसी भी पार्टी को इस तरह से मजाक करने का हक नहीं दिया जा सकता है। इस मामले की जांच करने के लिये मैंने आश्वासन दिया है। संसार में हम कहते हैं कि सदन की अवमानना का इस तरह का मिशाल दूसरा कुछ नहीं हो सकता है।

सदन को एक छोटी सी गलत कारंवाई के लिये किसी के ऊपर कारंवाई की जा सकती है। आज इस पार्टी को, लोकदल को इस मर्यादापूर्ण कांग्रेस पार्टी पर आक्षेप लगाने का अधिकार नहीं हो सकता है। कांग्रेस पार्टी मर्यादा का साबूत है। इसका इतिहास गौरव से भरा हुआ है। इस पार्टी पर कोई भी इस तरह की घटिया व्यवहार नहीं कर सकता है जिससे लोकतंत्र कमजोर पड़े। श्रीमती इंदिरा गांधी का मिशाल कोई पेश नहीं कर सकता है। किसी के आचरण से लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर पड़े, ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन आज इसके उदाहरण हैं जिससे लोकतंत्र की बुनियाद हिल रही है, लोकतन्त्र कमजोर हो रहा है। लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र को कुंठित करने की साजिस बना रहे हैं और उसी के लिये प्रदर्शन 19 तारीख को विरोधियों ने राज्यपाल महोदय के सामने किया। श्री लालमुनी चौबे और श्री सुबोध कान्त सहाय आदि राज्यपाल महोदय के पास पहुंचे और गलत सलत नारे लगाए। राज्यपाल को आदेशपाल कहेंगे तो इस पर आत्म मंथन नहीं करेंगे, आत्म चिन्तन नहीं करेंगे। इस प्रदेश की क्या राजनैतिक हालत होनेवाली है और इसका क्या राष्ट्रीय स्वरूप है, इसके बारे में मैं सदन में कहना चाहता हूं।

हम सदन के माध्यम से बिहार की सात करोड़ जनता का आह्वान करते हैं कि वह विरोधी दल के तस्वीर को पहचाने और उनके द्वारा गुमराह न हों। वे जिस रूप में लोकतंत्र के साथ खेलवाड़ कर रहे हैं, उनको लोकतंत्र की मर्यादा कायम करने के लिये कहने का हक नहीं है। आजतक ऐसा शुरू किसी का नहीं हुआ। जो घटना घटी है, इसे आपको गंभीरता से लेना चाहिए, यह हम दर्खास्त करेंगे। यह मामला एक सदस्य का नहीं है, आपके जिम्मे इस संस्था को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी है, आज हम यहां हैं, कल नहीं रहेंगे लेकिन हम जो करके जायंगे वह एक परम्परा बनेगी, एक मिसाल बनेगा। इस तरह सदन का अपमान करके चले गये, इससे सदन की मर्यादा भंग करने का और क्या तरीका होगा। इसलिये इसे आप बड़ी गंभीरता से, दृढ़ता से लें, इसे देखें और विचार करें, ऐसा हम निवेदन आपसे और सदन से करना चाहते हैं। आपने कहा है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं, तो हम आपके प्रतिवेदन के बाद इसपर विचार करेंगे लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि यह बहुत दुःखद, लज्जाजनक और अशोभनीय घटना है, इसका कोई मिसाल नहीं हो सकता।

एक बात का और निवेदन हम कर देना चाहते हैं, सदन की कार्यवाही जिस रूप में समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है, वह भी आपके अधिकार का प्रश्न है, आपके विचार का प्रश्न है। प्रेस को आजादी है, प्रेस गैलेरी में बैठकर सदन की कार्यवाही देखने की और जो कार्यवाही होती है, उसके प्रकाशन की लेकिन उस दिन (19 मार्च) राज्यपाल के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उसे आप देखें कि किस रूप में समाचार पत्रों में छापा गया। वह जिस रूप में छापा गया, वह सम्पूर्ण बिहार के लिये कलंक की बात हुई। इसलिये हम निवेदन करेंगे जो सदन की कार्यवाही में न रहे वह समाचार पत्रों में न जाय, यह भी आपको देखना है। मेरे विचार से प्रकाशन में वही जाना चाहिए, जो हम यहां कहते हैं, जो कार्यवाही में नहीं है, उसे नहीं जाना चाहिए। जिस प्रकार प्रकाशन हो रहा है समाचार पत्रों में, कई बार इस तरह की बात हुई, इसलिये अध्यक्ष जी, इसपर आप गंभीरता से विचार करें कि सदन की कैसी तस्वीर वहां पर जाय। इसपर विचार कर आपको कोई नियमन देना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन से निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य, श्री रामाश्रय राय जी ने जो राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का प्रस्ताव दिया है और जिसका समर्थन, माननीय सदस्य श्री मो० यासीन ने किया है, उसकी स्वीकृति देकर और विरोधी दलों द्वारा जो संशोधन दिये गये हैं, उन्हें अस्वीकृत कर महामहिम राज्यपाल के प्रति आदर और सम्मान प्रकट करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आसन ग्रहण करता हूं।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएं—

मुझे, किन्तु खेद है कि राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित विषयों का उल्लेख नहीं है :—

(1) कि 11 फरवरी, 1982 के मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी ने राज्यपाल को धोखे में रखा, हवाई अड्डा के बिल्कुल ठीक होने के सम्बन्ध में उन्हें गलत सूचना दी तथा उनका प्रोग्राम फेल कराना चाहा एवं राज्यपाल के आदेश के बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा उक्त जिलाधिकारी को आजतक निलम्बित नहीं किया ;

(2) कि साव का ठेका देने के मामले में राज्य सरकार ने भयंकर घोटाला करके इस गरीब तथा पिछड़े राज्य को करोड़ों रुपये का घाटा पहुंचाया;

(3) कि रीगा चीनी मिल के मैनेजर द्वारा गन्ना उत्पादकों तथा नागरिकों पर दिनांक 27 दिसम्बर, 1981 को गोली चलायी गयी जिसके फलस्वरूप श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, बी० ए० तथा श्री रफीक मियां, गरीब दर्जी की मृत्यु हो गयी।

(4) कि सीतामढ़ी जिला के रीगा मिल क्षेत्र में गन्ना उपजाने वाले किसानों के ऊपर दमन चक्र चलाया गया और गन्ना उत्पादकों तथा विरोधी दल के कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार कर दो-दो बार काफी दिनों तक जेल में बन्द किया गया।

(5) कि प्रोफेसर रघुवंश प्रसाद सिंह, विधायक अपने साथियों और गन्ना उत्पादकों के साथ बहुत दिनों से जेल में बन्द हैं तथा उनपर सीतामढ़ी जेल में लाठी प्रहार भी किया गया;

(6) कि गन्ना उत्पादकों को 40 अथवा 35 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना का मूल्य देने की कौन कहे, विगत वित्तीय वर्ष में भुगतान किये गये साढ़े बाईस रुपये प्रति क्विंटल गन्ना-मूल्य को इस साल घटाकर साढ़े बीस रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

(7) कि सारे प्रशासन में भ्रष्टाचार, पक्षपात, जातीयता, अनियमितता, मर्यादाविहीनता, बेईमानी, भाई-भतीजावाद तथा भोगवाद का नंगा नाच हो रहा है;

(8) कि गंगा पुल का निर्माण कार्य पूरी तरह सम्पन्न किये बगैर और आवागमन को चालू किये बगैर 2 मार्च को लगभग एक करोड़ रुपये विभिन्न मदों पर खर्च कर पुल का फर्जी उद्घाटन कराया गया।

(9) कि सम्पूर्ण राज्य की विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है और डकैतियां, हत्याएं, लूट-पाट, मार पीट, दंगा-फसाद, बलात्कार एवं अन्य अपराधकर्मों की घटनाओं से समस्त जनता त्राहि-त्राहि कर रही है।

(10) कि 19 मार्च, 1982 को बिहार के कोने-कोने से आये हुए छात्रों और युवजनों पर भयंकर लाठी प्रहार हुआ तथा अश्रुगैस के गोले छोड़े गये जिसके फलस्वरूप भारी संख्या में छात्र और नौजवान जख्मी हो गये ;

(11) कि पृष्ठ 18 पर राज्यपाल के अभिभाषण में ही शब्दों में "आप महानुभावों से आग्रह है कि इस अवसर पर समारोह में भाग लेने की कृपा करें" निमंत्रण देकर वर्तमान मंत्रिमंडल ने अपनी मूर्खता, भद्दे पन, फूहड़पन और मजाक का परिचय दिया है।

(12) कि जीवनोपयोगी वस्तुओं का अभाव तथा मंहगाई चरम सीमा पर है और सभी गरीबों, किसानों, मजदूरों, निश्चित आय समूहों तथा आम आदमियों की जिन्दगी दूभर हो रही है।

(13) कि देहाती क्षेत्रों के लिए जन-वितरण प्रणाली सम्पूर्ण रूप से धोखा (टोटल फ्रौड) है, क्योंकि वहां की दूकानों में सामानों की उपलब्धि प्रायः शून्य रहती है। जहांतक शहरों का सवाल है, वहां भी सामानों की उपलब्धि न तो पर्याप्त है और न समयबद्ध ही।

(14) कि यह मंत्रिमंडल जनतंत्र का शत्रु है और निर्वाचित 587 पंचायत समितियों में चोर दरवाजे से सदस्यों का मनोनयन करके पंचायती राज की हत्या सरकार उसी प्रकार करने जा रही है जिस तरह जिला परिषद् की हत्या की जा चुकी है।

(15) कि भूमि सुधार के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सिर्फ बोल में है, कर्म में नहीं।

(16) कि बिजली के घनघोर संकट के कारण खेतों, उद्योगों, दूकानों, विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा आमलोगों को आवश्यकतानुसार पर्याप्त उपलब्ध नहीं हो रही है।

(17) कि विश्वविद्यालयों की स्थिति जितनी आज गंभीर है, उतनी पहले कभी किसी काल में नहीं थी। वहां भयंकर पक्षपात, धांधली, भ्रष्टाचार, जातीयता, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का साम्राज्य है।

(18) कि गरीबी और गैर बराबरी मिटाने का ढोल जोर-जोर से जरूर पीटा जा रहा है; लेकिन सब काम उलटा हो रहा है, फलस्वरूप उनमें वृद्धि जारी है।

(19) कि सही, ठोस तथा कालबद्ध योजनाओं के अभाव में दिनानुदिन बेकारी बढ़ती जा रही है।

(20) कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में सारे राज्य में अति वृष्टि के कारण भदई फसल, हथिया के अभाव में धान की फसल तथा बिजली की अनुपलब्धि तथा सिंचाई की कमी से रब्बी की फसल और अभी हाल में अनावश्यक एवं असमय वृष्टि से दलहन की फसल को भारी क्षति पहुंची है जिसके परिणामस्वरूप देहाती क्षेत्रों में करोड़ों लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं।

(21) कि यह मंत्रिमंडल इतना मिथ्यावादी है कि इसने 19 जनवरी, 1982 के सफल "भारत बन्द" को विफल करार दिया और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके बन्द के दिन दमन-चक्र चलाया और हजारों लोगों को गिरफ्तार किया।

(22) कि मधुबनी जिला के भूतही बलान नदी के पूर्वी तटबन्ध का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के कारण 54 गावों के लोगों की जान, माल प्रगति, विकास सब खतरे में पड़ा हुआ है।

(23) कि पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा तथा उत्तरी भागलपुर जिले के लाखों-लाख पाट उत्पादकों को पाट का उचित मूल्य नहीं दिलाकर करोड़ों रुपये का घाटा पहुंचाया गया है।

(24) कि सहरसा जिला के मुरली बसंतपुर पंचायत के बरना गांव में आठ मुसलमानों की हत्या की निष्पक्ष जांच कराने से तथा हत्यारों के विरुद्ध सख्त कारंवाई करने से सरकार ने आजतक इन्कार की है।

(25) कि खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने के बारम्बार आश्वासनों को आजतक पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं किया है।

(26) कि चतुर्थ वेतन पुनरीक्षन समिति की अनुशंसा को लागू कराने के लिए सारे राज्य के जजों और न्यायिक सेवा अधिकारियों ने 23, 24 तथा 25 फरवरी को कलम बन्द हड़ताल की तथा 5 मार्च से उनने "वर्क-टू-रूल" आन्दोलन चला रखा है तथा 22 मार्च से वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं, जो इस राज्य ही नहीं, बल्कि सारे राष्ट्र के जीवन में एक अभूतपूर्व घटना है।

(27) कि सारे राज्य में जुनियर डॉक्टरों की हड़ताल 23 दिनों से चल रही है और सरकार की उदासीनता तथा उपेक्षाभाव के कारण आजतक कोई समझौता नहीं हो पाया जिसके परिणामस्वरूप अस्पतालों और मरीजों की हालत अत्यन्त दयनीय है।

(28) कि श्री आभास कुमार चटर्जी, आई०ए०एस०, के प्रति घोर अन्याय, अंधेर किया गया और वह भी महज इसलिए कि उन्होंने राज्य पथ-परिवहन निगम के अध्यक्ष तथा मुख्य मंत्री के गलत आदेशों का पालन करने से इन्कार कर दिया था और उनके गलत कारनामों का विरोध किया था।

(29) कि अपवादों को छोड़कर सामान्यत: विद्यालय एवं महा-विद्यालयों में पठन-पाठन चौपट हो चुका है जिसके परिणामस्वरूप राजकीय विद्यालयों के मुकाबले पब्लिक स्कूलों की भरमार हो गयी है।

(30) कि "उत्पादकता का वर्ष" सिर्फ नाम के लिए है, क्योंकि बिजली और सिंचाई के अभाव में कृषि तथा उद्योग, दोनों के उत्पादन में ह्रास हो रहा है और बहुत-सारे छोटे-छोटे कारखाने बन्द हो गये हैं।

(31) कि हजारों-हजार राजकीय सिंचाई नलकूप खराब पड़े हैं और पर्याप्त आवंटन नहीं देकर सरकार न सिर्फ नलकूपों को बल्कि मानवों को भी, भूखों मार रही है।

(32) कि बिहार शरीफ में 19 जनवरी को "भारत बन्द" के अवसर पर श्री राशीष को निषेधाज्ञा के उल्लंघन में 188 दफा के अन्तर्गत गिरफ्तार करके सरकार ने दो महीने तक उन्हें जेल में बन्द रखा, उनकी नागरिक स्वतन्त्रता का हनन किया और जल में उनके साथ अत्याचार किया।

(33) कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की हत्याओं की बाढ़ आ गयी है और इस बाढ़ को रोकने में यह सरकार अक्षम रही है।

(34) कि कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी और किसानों को फसलों का लाभकारी मूल्य दिया जायेगा।

(35) कि कृषि के अतिरिक्त पशुपालन, कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग, लघु उद्योग एवं वन सम्पदा आधारित उद्योगों को प्राथमिकता देकर बिहार के अर्थतन्त्र को तेजी से विकसित किया जायेगा तथा कालबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत इस राज्य से गरीबी, बेकारी, गैर-बराबरी, पिछड़ेपन और असन्तुलन को समाप्त किया जायेगा ।

(36) कि सभी बेघरों को घर दिया जायेगा ।

(37) कि 1985 के मार्च तक छः वर्ष से 14 वर्ष की आयु सीमा के बालकों और बालिकाओं को अनिवार्य शिक्षा देने का लक्ष्य पूरा कर लिया जायेगा ।

(38) कि लगभग साढ़े सात हजार जन-स्वास्थ्य रक्षकों को फिर से बहाल किया जायेगा और जन-स्वास्थ्य रक्षक योजना सारे बिहार के प्रत्येक गांव में कार्यान्वित की जायेगी ।

(39) कि किसानों, मजदूरों, हरिजनों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा छात्र-युवजनों पर सारे राज्य में बारम्बार भयंकर अन्याय-अत्याचार हुए हैं और आज भी हो रहे हैं ।

(40) कि विभिन्न परियोजनाओं में मिट्टी काटने वाले मजदूरों और ईंट पाथने वाले मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जायेगी ।

(41) कि झुग्गी-झोपड़ियों में बसने वालों की स्थिति के सुधार तथा उनके पुनर्वास की घोषणाओं के बावजूद योजनाबद्ध तरीके से उन्हें उजाड़ा जा रहा है और आज तक उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की योजना नहीं बनायी गयी है ।

(42) कि छोटानागपुर, संथाल परगना में कोयला खदानों के विस्तार हेतु अर्जित की गयी और अर्जित की जा रही जमीनों के चलते जो हजारों आदिवासी, हरिजन और पिछड़े वर्गों के लोग विस्थापित हो गये हैं उनके पुनर्वास, नौकरी और व्यावसायिक दर पर मुआवजा की व्यवस्था के बाद ही उनकी जमीन का हस्तांतरण संस्थानों के लिए किया जायेगा ।

(43) कि छोटानागपुर, संथाल-परगना में लघु-सिंचाई परियोजनाओं, सड़कों तथा पुल के निर्माण तथा वन सम्पदा आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(44) कि श्री द्वारिका प्रसाद कुशवाहा, निमाई महतो तथा संतोष महतो आदि को अन्यायपूर्वक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जेल में सड़ाया जा रहा है।

(45) कि कुमारदुभी इंजीनियरिंग वर्क्स का अधिग्रहण अभी तक नहीं करके सरकार ने मजदूरों के साथ विश्वासघात किया है—और अपना वचन भंग किया है।

(46) कि पुनपुन नदी के हुमीद नगर के समीप बराज बनाने की वर्षों से लम्बित योजना को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित कर पटना-गया जिला के लाखों-लाख किसानों को सिंचाई लाभ पहुंचाया जायेगा।

(47) कि नक्सलपंथियों एवं उग्र पंथियों के नाम पर अपने राज्य के बहुतेरे गांवों में गरीबों, मजलूमों और शोषित-पीड़ितों को घोर दमन-दलन अत्याचार का शिकार बनाया गया है।

(48) कि बिहार में अस्थायी जनगणना कर्मचारी लगभग 1700 की संख्या में छंटनी के शिकार बनाये गये हैं जिसके चलते उनके और उनके परिवार के सदस्यों के समक्ष भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गयी है।

(49) कि समतामूलक, कृषि-आधारित, ग्राम-लघु उद्योग प्रधान, समृद्ध समाज की स्थापना की जायेगी।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएः—

किन्तु खेद है कि राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित विषयों का उल्लेख नहीं है।—

(1) कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, कोई भी नागरिक स्वाभिमान से नहीं रह सकता है, जन-जीवन त्रस्त है, राजनैतिक हत्यायें, दिन दहाड़े डकैतियां बसों, ट्रकों, और ट्रेनों को रोक कर प्रायः सभी दिन हो रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार में वृद्धि, कमजोर वर्गों, हरिजनों, आदिवासियों पर अत्याचार और उनकी हत्याएं जैसी अराजकता राज्य में कायम हो गई है।

(2) कि पूंजीवाद भयंकर संकटग्रस्त अवस्था में पहुंच चुका है और सरकार देशी और विदेशी पूंजीपतियों को एक ओर छूट और रियायतें देती जा रही है और दूसरी ओर लगातार आम जनता और उपभोक्ताओं पर टैक्स बढ़ाती जा रही है।

(3) कि सरकार मुनाफाखोरों एवं चोरबाजारियों को प्रोत्साहन दे रही है और निर्धारित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं का मुहैया कराने में विफल रही है।

(4) कि कृषि और औद्योगिक मूल्यों में संतुलन लाने के लिए सरकार द्वारा कोई कारंवाई नहीं करने एवं किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं मिलने के कारण, कृषि क्षेत्र संकट में फंस गया है, देशी और विदेशी इजारेदारी की लूट और उपर से सरकार द्वारा लगातार टैक्सों में वृद्धि से किसानों की कमर टूट रही है। छोटे और मध्यम किसान मिट रहे हैं, भूमिहीनों की समस्या बढ़ती जा रही है।

(5) कि जूट उत्पादकों से उचित मूल्य पर जूट खरीदने में सरकार विफल रही है, जिस कारण इनका भयंकर शोषण हो रहा है।

(6) कि ईख की कीमत घटाकर और चीनी की कीमत बढ़ाकर सरकार ने अपने पूंजीवादी चरित्र को उजागर कर दिया है, जिसके कारण ईख की पैदावार पर खतरा पैदा हो गया है साथ ही किसानों को ईख के बकाये की राशि का भुगतान कराने में सरकार की विफलता और ईख की कीमत को घटाने से किसनों में घोर असंतोष फैला हुआ है।

(7) कि बिजली, कोयला और सिमेंट के संकट के कारण पूरे राज्य की दशा बिगड़ती जा रही है, कृषि एवं उद्योग के क्षेत्र में संकट पैदा हो गया है, सरकार आवश्यक वस्तुओं का राजकीय व्यापार करने में विफल रही है।

(8) कि सरकार पूर्णतः भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, समाज विरोधी और महाभ्रष्ट लोग उसपर कब्जा करते जा रहे हैं, सरकार ने अहमद आयोग, चौधरी आयोग तथा अरबन बैंक काण्ड की चल रही जांच और मुकदमें को निर्लजतापूर्वक उठा लिया, इस भ्रष्ट सरकार के अन्तर्गत जनहित की योजना प्रभावहीन सिद्ध होती जा रही है।

(9) कि 1977 के चुनाव में भारी पराजय के बाद कांग्रेस (ई) ने बड़े भूस्वामियों और सामनती तत्वों से गहरा नाता जोड़ लिया है, जिससे अब सरकार द्वारा भूमि हदबंदी के कार्यक्रम को, और विभिन्न प्रकार के सामन्त विरोधी कानूनों को लागू कराने की आशा ही बेकार है। 20-सूत्री का ढोल पीटकर सरकार सिर्फ भूमिहीन और कमजोर वर्गों को रखना चाहती है।

(10) कि बड़े पैमाने पर कानून को तोड़कर शासन गुट और प्रशासन के मेल से भूमि हदबंदी सीमा से अधिक बड़े भूस्वामियों ने जमीन को तेजी से बेचना शुरू कर दिया है। पर्चाधारियों, बटाईदारों एवं अन्य भूमिहीनों को सरकार और शासन गुटों के मेल से जमीन से बेदखल किया जा रहा है और यह सब शासक गुट के सुनियोजित नीति के कारण हो रहा है।

(11) कि भूमिहीनों को बास से बेदखल किया जा रहा है, खेत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने में सरकार पूर्णतः विफल रही है और इनके बासभूमि की रक्षा और न्यूनतम मजदूरी तथा समाज के बढ़ते संघर्ष को निर्ममता पूर्वक उग्रवादी के नाम पर उत्पीड़न दबाकर सरकार अपने मालिक सामन्तों की सेवा ईमान्दारी पूर्वक कर रही है।

(12) कि बेरोजगार मजदूरों में व्याप्त असंतोष और उद्योगपतियों द्वारा तालाबंदी को रोकने में सरकार असफल रही तथा उद्योगपतियों द्वारा गैर-कानूनी ढंग से मजदूरों की छंटनी, निलंबन और सेवा से हटाये जाने की प्रक्रिया सरकारी गुट के सहयोग से बढ़ती ही जा रही है। जमशेदपुर में टाटा की सामानान्तर सरकार चल रही है जहां बिहार सरकार के आदेश का पालन नहीं होता है।

(13) कि रोयालटी के करोड़ों रुपये की वसूली में सरकार विफल रही है और वाणिज्य-कर की भारी रकम की वसूली करने में भी सरकार विफल रही है। जनतापार्टी की सरकार द्वारा कृषि आय-कर को समाप्त करने के बाद फिर से इसे लागू करने में वर्तमान सरकार सिर्फ विफल ही नहीं रही है, बल्कि भूस्वामियों द्वारा पूर्व में चुकाये गये कृषि कर की वापसी भी सरकारी खजाने से होना शुरू हो गया है।

(14) कि सरकार की नीति के कारण बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है, 2,900 के अधिक विद्युत अभियंताओं द्वारा बेरोजगारी से मुक्त होने के लिए सितम्बर, 1979 से ही आन्दोलन चलाये जा रहे हैं। सरकारी समिति की अनुशंसा के बाद भी इनको नियोजित नहीं किया जा रहा है, सैकड़ों बेरोजगार चिकित्सक, स्नातक, कृषि स्नातक, दस हजार से अधिक शिक्षित आई० टी० आई०, कई हजार प्रशिक्षित शिक्षकों तथा लाखों अन्य शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों की समस्या दिनानुदिन बढ़ती जा रही है।

(15) कि सभी बेरोजगारों को जीवन-यापन भत्ता देने की बात तो दूर रही, शिक्षित बेरोजगारों को भी यह भत्ता देने में सरकार असफल रही है। नाममात्र शिक्षित बेरोजगारों को मात्र@50 रुपया भत्ता दिया गया है जो इस भीषण महगाई के सामने हास्यास्पद है और इस रकम को भी प्राप्त करने में भयंकर गोलमाल और धांधली बढ़ती जा रही है। नियोजनमुखी शिक्षा बनाने की बात तो दूर रही, राज्य में पठन-पाठन ठप्प रहने, समय पर परीक्षा नहीं होने के कारण अखील भारतीय सेवाओं से बिहार के छात्रों को वंचित रहने तथा पूरे शिक्षा जगत में अराजकता और शिक्षक विरोधी कानूनों को जारी करके शिक्षा की स्थिति को सरकार लगातार बिगाड़ रही है। प्रतिबंध रहने के बावजूद शासक गुट द्वारा अनेकों तकनीकी एवं गैर-तकनीकी संस्थाएं, संजय गांधी, जगन्नाथ मिश्र एवं अन्य कांग्रेस (ई) नेताओं के नाम पर चलाये जा रहे हैं।

(16) कि हरिजन, आदिवासी एवं अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों एवं छात्राओं को समय पर छात्रवृत्ति अनुदान देने में सरकार असफल रही है।

(17) कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों को शासन देने में सरकार की विफलता रही है और छोटानागपुर एवं संथालपरगना की अपेक्षा बराबर होती रही है। इन क्षेत्रों में स्वशासी प्राधिकारों के निष्प्राण होने, आदिवासी भाषाओं की मान्यता देने, पर्याप्त मात्रा में आदिवासी बच्चों को शिक्षा देने, इनके लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना करने तथा आदिवासी रेडियो स्टेशन की व्यवस्था करने में सरकार असफल रही है।

(18) कि आदिवासियों को गैर-कानूनी तरीके से छनी गई जमीन को सूदखोरों, महाजनों के चंगुल से निकाल कर उन्हें वापस दिलाने में सरकार विफल रही है।

(19) कि सरकार द्वारा कानून बनाकर जंगल में ठीकेदारी प्रथा खत्म करने के बाद भी ठीकेदारी एवं सरकारी अधिकारियों की मिली भगत से जंगल की लूट हो रही है, साथ ही आदिवासियों को झूठे मुकदमें में फंसाये जा रहे हैं।

(20) कि स्वर्ण रेखा बांध परियोजना के लिये आदिवासियों एवं अन्य कमजोर तबके के लोगों की जमीन, जो अधिग्रहण की गई है, उसका उचित मुआवजा देने में सरकार विफल रही है।

(21) कि उर्दू भाषा को राज्य की दूसरी भाषा के रूप में अधिनियमित कर इसका ठोस कार्यान्वियन नहीं किया गया है, क्षेत्रीय भाषाओं, जैसे मैथिलि, भोजपुरी, संथाली, मगही और अन्य भाषाओं के विकास के लिये कोई योजना नहीं है, जिससे जनता में भ्रम उत्पन्न हो रहा है और इसका लाभ उठा कर साम्प्रदायिक तत्वों को भाषायी उन्माद फैलाकर राजनैतिक लाभ उठाने का अवसर सरकार दे रही है।

(22) कि शासक गुट के अन्दर साम्प्रदायिक तत्वों की संख्या बढ़ती जा रही है।

(23) कि जनोपयोगी योजनाएं, जैसे सिंचाई, बिजली, बाढ़-नियंत्रण, औद्योगिक विकास का कार्य का ठप्प होना, प्रगति के मार्ग में सरकार की विफलता का कारण है तथा कटाव पीड़ितों के बचाव एवं पुनर्वास करने में सरकार पूर्णतः असफल रही है और सिंचाई रेट की वसूली में धांधली बढ़ती जा रही है। बाढ़, सुखाड़ एवं बिजली संकट से स्थायी निदान के लिये कोशी नदी पर बराह क्षेत्र में, कमला नदी पर शीशा पानी में एवं बागमती नदी पर नूनथर में बृहद्देशीय डैम परियोजनाओं के निर्माण की दिशा में सरकार उदासीन एवं निष्क्रीय है तथा कोयल एवं कहलगांव सुपर थर्मल पावर परि-योजना के कार्यान्वियन में सरकार शिथिल है।

(24) कि राज्य में ग्राम्य अभियंत्रण संगठन द्वारा हजारों सड़कों के निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपये की केवल लूट हो रही है और निर्माण कार्य अभीतक मुंह बाये खड़ा है।

(25) कि यातायात चालू होने के लायक पुल का निर्माण किये बिना ही पटने में गंगा पुल का उद्घाटन कराया गया और मुख्य अभियंता एवं अन्य तकनीकी अधिकारियों तथा गैमन कम्पनी द्वारा मना करने के बावजूद मुख्य मंत्री जगन्नाथ मिश्र द्वारा इस पुल पर 19 मार्च 1982 से यातायात चलाने का कार्यक्रम बनाना भविष्य में जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। भागलपुर के निकट सुलतानगंज में गंगा नदी पर पुल निर्माण की दिशा में सरकार चुप्पी साधे हुई है।

(26) कि छोटानागपुर एवं अन्य जगहों में विभिन्न परियोजनाओं के लिये अर्जित जमीन का समुचित मुआवजा नहीं देने के कारण तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय लोगों की नियुक्ति नहीं होने के कारण जन असंतोष बढ़ता जा रहा है।

(27) कि बिहार में निहित स्वार्थियों को लगातार प्रशासनिक मदद मिलने के कारण सहकारी संस्थाओं पर इनका कब्जा होना और बिहार की सहकारी संस्थाओं का चन्द लोगों की जेब में कैद होते जाने के कारण आम जनता इसके लाभ से वंचित होती जा रही है।

(28) कि बढ़ते हुए आर्थिक संकट के कारण राजनीतिक अस्थिरता का बढ़ना तथा उभड़ते जन-आन्दोलन को अमानुषिक तरीके से कुचलकर सरकार ने जनतंत्र के बुनियाद को समाप्त करने की प्रक्रिया राज्य में शुरु कर दी है; जैसे 19 जनवरी 1982 को सफल बिहार बन्द के सिलसिले में पुलिस कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ दमन का रास्ता अपना कर सरकार ने जनतंत्र विरोधी चरित्र को उजागर किया है।

(29) कि भारत सुरक्षा कानून और अपराध नियंत्रण कानून का इस्तेमाल सम्प्रदायवादी, पृथकतावादी, जातिवादी, उन्माद फैलाने वालों तथा कालाबाजार करने वालों के खिलाफ नहीं कर, इसका इस्तेमाल सरकार द्वारा राजनीतिक पार्टियों, खासकर वामपंथी और जनवादी पार्टियां और इनके द्वारा चलाये जा रहे जन-आन्दोलन के खिलाफ किया जा रहा है।

(30) कि राज्य पंचायत समितियां एवं जिला परिषदों में ऊपर से दस-दस व्यक्तियों को मनोनीत कर सरकार ने जनतंत्र को हास्यास्पद बना दिया है।

(31) कि सानुपातिक चुनाव पद्धति लागू करने और निर्वाचित सदस्यों को वापस बुलाने के अधिकार के लिए राज्य सरकार पेशकदमी करने में असफल रही है।

(32) चतुर्थ वेतन पुनर्निरीक्षण समिति की रिपोर्ट को लागू नहीं करने के खिलाफ न्यायधीशों द्वारा चलाये जा रहे आन्दोलन के प्रति सरकार की उदासीनता एवं मरिजों की जिन्दगी से ताल्लुकात रहने वाले जुनियर डाक्टरों की हड़ताल समाप्त करने में सरकार विफल हो रही है।

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

3. अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़े जायें:—

किन्तु खेद है कि राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित विषयों का उल्लेख नहीं है:—

(1) कि राज्य विधि व्यवस्था का पूरा तानाबाना जर्जर हो चुका है। कई जिले विशेषकर पटना, रोहतास, भागलपुर एवं मोतीहारी चम्बलघाटी को भी मात दे रहे हैं।

(2) कि विगत होली के समय निजी परिवहन परिचालकों की हड़ताल से जनता को हुए अकथनीय कष्टों का कहीं उल्लेख नहीं है और सरकार उनकी जायज मांगों को मानकर उससे पुनः मुकर गई जिसके कारण उन्हें हड़ताल पर जाना पड़ा।

(3) कि 1981-82 में राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में 116 लाख टन खाद्यान उत्पादन की गर्वोक्ति की थी किन्तु इस वर्ष भाषण में यह नहीं बताया गया कि यथार्थ में उक्त वर्ष में उत्पादन कितना हुआ तथा कम उत्पादन का कारण विद्युत् संकट, सिंचाई की अव्यवस्था तथा कृषि की उपेक्षा है।

(4) कि राज्य सरकार में भ्रष्टाचार का आलम बना हुआ है। भ्रष्टाचार अजगर की तरह विकास की योजनाओं को निगल रहा है, जिसके चलते विकास की गति धीमी पड़ गयी है तथा जनसाधारण का विश्वास सरकारी तंत्र से उठ गया है।

(5) कि सरकार केवल हड़ताल की भाषा को समझती है जिसके चलते सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मचारी एक-एक कर हड़ताल पर जा रहे हैं, यहां तक कि न्यायिक अधिकारियों को भी हड़ताल पर जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। कनीय चिकित्सक अपनी जायज मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं तथा अन्य चिकित्सक भी हड़ताल पर जाने ही वाले हैं। विश्व-विद्यालय शिक्षकों ने भी 5 अप्रील से हड़ताल पर जाने का निश्चय किया है।

(6) कि औद्योगिक विकास की गति शून्य पर आ गयी है तथा पलामू में जिस कास्टिक सोडा फैक्ट्री के निर्माण की उपलब्धि बताया गया है वास्तव में अभी तक उसके स्वरूप का दर्शन अभीतक जनता को नहीं हुआ है तथा उसकी प्रगति का दावा बिल्कुल हास्यास्पद बन चुका है।

(7) कि बीस-सूत्री कार्यक्रम मात्र प्रचार का साधन बन गया है तथा इस कार्यक्रम के अधीन कोई भी कार्य धरातल पर नहीं किया जा रहा है, प्रभारी मंत्री, जिले की स्थानीय राजनीति में मशगूल हैं तथा ईमानदार पदाधिकारियों का ब्लैकमेल कर रहे हैं।

(8) कि सरकारी कर्मचारियों की प्रोन्नति एवं स्थानान्तरण के मामले जानबूझकर लम्बित रखे जाते हैं, एवं स्थापित नियमों का उल्लघंन किया जाता है, तथा पदाधिकारियों से मोटी रकमों का दोहन करने के लिए तिकड़मबाजियां की जाती हैं।

(9) कि जनतंत्र के लिए प्रबल स्तंभ प्रेस को दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है जिसके चलते बिहार के प्रमुख दैनिक आर्यावर्त्त एवं इंडियन नेशन को सरकार की खामियां प्रकाशित करने के कारण लम्बी अवधि के लिए बन्द होने पर मजबूर होना पड़ा तथा राज्य सरकार इस प्रकार का अध्यादेश बना रही है कि सरकारी दृष्टि में आपत्तिजनक समाचार के संवाद-दाता, सम्पादक और पत्र संचालक को बिना जमानत के गिरफ्तार कर लिया जाय।

(10) कि इंदिरा सरकार के शासन के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में बिहार की उपलब्धियों का लेखा-जोखा दिल्ली के समाचार पत्रों में दिया गया लेकिन बिहार के समाचार पत्रों में नहीं। क्या बिहार की जनता को बिहार में हुई प्रगति को जानने का अधिकार नहीं है या प्रगति की यह सारी भूमिका खोखली है।

(11) कि एक तरफ अभिभाषण में राज्यपाल राजनीति को सड़क पर लाने की भर्त्सना करते हैं किन्तु दूसरी ओर 19 जनवरी को भारत बन्द के दौरान कांग्रेस (आई०) ने कुख्यात अपराध-कर्मियों के माध्यम से इस बन्द को विफल करने के लिए करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाया।

(12) कि अरबन को-ऑपरेटिव बैंक के घोटाले के मामले को न्यायालय से वापस लेना मूल्यों पर आधारित राजनीति के प्रतिकूल है।

(13) कि राज्य में वनों का राष्ट्रीयकरण तो कर दिया गया है किन्तु सरकारी मिशनरी की अक्षमता से जंगलों में काम न शुरू होने के कारण जीविका की खोज में भटक रहे वनवासियों को रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं की गई जिसके चलते उनको सुदूर प्रान्तों में काम की खोज में जाना पड़ रहा है।

(14) कि पुलिस मुठभेड़ की आड़ में निर्दोष व्यक्तियों की हत्या की जा रही है तथा साधारण जनता पुलिस जुर्म का शिकार बन रही है।

(15) कि राज्यपाल ने अभिभाषण में ट्राईसेम योजना के अन्तर्गत 1980-81 में तीन हजार एक सौ चौसठ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिए जाने की घोषणा की है जब कि इस योजना के अन्तर्गत प्रखंड में 40 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित है जिसके आलोक में प्रशिक्षितों की संख्या 23,000 होनी चाहिए थी।

(16) कि खगड़िया एवं मधेपुरा जैसे छोटे-छोटे नये जिलों का सृजन किया गया है वहां रांची एवं संथालपरगना जैसे बड़े जिलों को स्पर्श तक नहीं किया गया, जो सरकारी पक्षपात का नमूना है।

(17) कि शिक्षा जगत में व्याप्त भ्रष्टाचार का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार के केन्द्र बन गये हैं तथा तथा कुलपति सरकार के इशारों पर गलत से गलत काम करने को बाध्य हो रहे हैं। आज विश्वविद्यालयों में कुलपतियों पर भ्रष्टाचार की पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं तथा उन पुस्तकों की द्वितीय संस्करण की तैयारियां हो रही हैं। सरकार द्वारा शिक्षकों को हानि पहुंचाने वाले अध्यादेश बनाए गये और कुलपतियों के द्वारा उसका दुरूपयोग कराया गया।

(18) कि सरकार की घोषणाएं मात्र कागजी घोड़े हैं क्योंकि सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है। जुलाई, 1980 में हु. मुख्य मंत्री ने पलामू जैसे वनरोपण से परिपूर्ण जिले में अग्निशामक भेजने के आदेश दिए जिसका कार्यान्वयन अभी तक नहीं हुआ।

(19) बिहार के गन्ना उत्पादकों को नियमित भुगतान करने की व्यवस्था का कहीं उल्लेख नहीं है।

(20) कि गांव में पेय जल, बिजली एवं पक्की सड़कों को मुहैय्या करने की कोई कालबद्ध योजना नहीं है; जिनके अभाव में ग्रामीण उत्थान का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता है।

(21) कि निजी इंजिनियरिंग कॉलेज को बन्द करने का अध्यादेश प्रख्यापित होने के बाद भी बिहार के मंत्रियों के नाम पर दर्जनों इस तरह के कॉलेज चल रहे हैं जिसके अध्यक्ष एवं मंत्री के पद पर कई मंत्री आसीन हैं, जो यह सरकार की दुरंगी चाल है।

(22) कि आरक्षी विभाग में सहायक आरक्षी निरीक्षक, जमादार एवं डब्लू० सी० के 1,200 से अधिक पद रिक्त हैं किन्तु रिश्वत के अभाव में भ्रष्ट सरकार इन्हें खाली रख कर जनता के जीवन को असुरक्षित बनाए हुए है।

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष -- प्रश्न यह है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़े जायें: --

किन्तु खेद है कि राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित विषयों का उल्लेख नहीं है:--

(i) कि प्रान्त में हो रहे लूट, डकैती, हत्या, चोरी, राहजनी, ट्रेन डकैती एवं शीलहरण आदि की रोकथाम तथा स्थायी निदान के कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है;

(2) कि प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, भाई-भतीजावाद तथा उसकी रोकथाम के निदान की चर्चा नहीं है;

(3) कि शिक्षा जगत में व्याप्त बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार एवं अनियमितताएं तथा पक्षपात का उल्लेख और उसके निवारण के उपाय नहीं हैं;

(4) कि राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग में (Ad-hoc) ऐडहॉक रूप से नियुक्त चिकित्सकों को विभाग में हजारों स्थान रिक्त रहने के बावजूद सेवा विस्तार अथवा औपचारिक रूप से नियुक्ति नहीं करने के कारणों तथा चिकित्सकों के अभाव से पीड़ित जनता के कष्ट की चर्चा का उल्लेख नहीं है;

(5) कि कृषकों, कृषक मजदूरों की समस्याओं एवं कृषि उपज को लाभकारी बनाने तथा बन्धुआ मजदूरों की उन्नति के कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है;

(6) कि सम्पूर्ण राज्य में फसल बीमा लागू करने की घोषणा का उल्लेख नहीं है;

(7) कि बड़े-बड़े भूस्वामियों से भूमि हदबन्दी से फाजिल जमीन अधिग्रहण करने का कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है;

(8) कि बेरोजगारी एवं भूखमरी के समाधान के उपाय की चर्चा का जिक्र नहीं है;

(9) कि सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था पेंशन एवं बीस-सूत्री कार्यक्रम में हो रहे अनियमितताओं एवं पक्षपात का जिक्र नहीं है;

(10) कि बिहार के निजी चीनी मिलों के व्यवस्थापकों द्वारा ईख उत्पादकों की उपेक्षा कर मनमानी मूल्य देने, करों की चोरी करने तथा उनके मुख्यालय बिहार में रखने से सम्बन्धित नीति का उल्लेख नहीं है;

(11) परिवार कल्याण जैसे प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम की सही दिशा निर्देश का जिक्र नहीं है;

(12) कि बिहार के विभिन्न कारखानों एवं सरकारी विभागों के छँटनी ग्रस्त मजदूरों एवं कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति की घोषणा।

(13) कि आकाश छूती हुई भीषण महंगाई की रोकथाम के कार्यक्रम का जिक्र नहीं है;

(14) कि हरिजन-गिरिजन कमजोर वर्ग एवं अन्य पिछड़ों तथा गरीबों के उत्थान की योजना का उल्लेख नहीं है;

(15) कि ग्रामीण जनता के लिये शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु योजनायें का विद्युत् के अभाव में अबतक चालू नहीं होने का निदान नहीं है;

(16) कि गंगा, गंडक, घाघरा, कोशी, बागमती एवं अन्य नदियों से दुर्लभ कृषि एवं बासगीत भूमि के कटाव से बचाव का प्रबन्ध नहीं है;

(17) कि गंडक नदी क्षेत्र में जल जमाव के निस्सरण की समस्या का निदान नहीं है;

(18) कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष कर नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में आवागमन के साधनों के अभाव एवं निदान का जिक्र नहीं है;

(19) कि विद्युत् आपूर्ति के अभाव में लघु उद्योग एवं कृषि सिंचाई नलकूपों के चालू करने की व्यवस्था का जिक्र नहीं है;

(20) कि प्रशासन में व्याप्त लाल फीताशाही, सरकारी उपक्रमों में लूट-खसोट तथा सरकारी पैसे का दुरुपयोग जिसके कारण घाटा हो रहा है का चर्चा तथा इसके निरोधात्मक उपाय नहीं है;

(21) कि सरकारी तंत्र के प्रत्येक स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार और उसके कारगर रोकथाम के उपायों की चर्चा नहीं है;

(22) कि विद्युत् उत्पादन में हो रहे दिनानुदिन ह्रास, जिनके फलस्वरूप, खेती, उद्योग, छात्रों की पढ़ाई, रोगियों की चिकित्सा एवं राज्य के सर्वांगीण विकास में ह्रास की चर्चा नहीं है;

(23) कि प्रत्येक वर्ष शिक्षा पद्धति एवं पाठ्यक्रम में परिवर्त्तन की नीति के औचित्य का उल्लेख नहीं है;

(24) कि चकबन्दी कार्यक्रम में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं मनमानी तथा कार्यान्वयन की शिथिलता की स्वीकारोक्ती नहीं है;

(25) कि राज्य के सभी स्तर के अस्पतालों तथा चिकित्सा महाविद्यालयों और उनके अस्पतालों के प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, रोगियों की चिकित्सा में लापरवाही और भ्रष्टाचार की चर्चा नहीं है;

(26) कि नक्सल पंथियों एवं उग्रवादियों के बढ़ते उपद्रवों से उत्पन्न अत्यन्त भयावह एवं गंभीर स्थिति का उल्लेख तथा उससे निपटने के कार्यक्रम की चर्चा नहीं है;

(27) कि बिहार के प्राय: सभी विश्वविद्यालयों में व्याप्त अनियमितताओं, मनमानी, भ्रष्टाचार तथा परीक्षा फल प्रकाशन में घोर पक्षपात, अनियमितता की चर्चा तथा निदान का जिक्र नहीं है;

(28) कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार, लूट-खसोट, नियुक्तियों अनियमितता, टायर, बस तथा पार्ट पुर्जो की खरीदारी में गड़बड़ी और यात्रियों की कठिनाईयों का उल्लेख तथा भीषण घाटे के कारणों की चर्चा नहीं है;

(29) कि नये अनुमंडलों एवं प्रखंडों का गठन विशेष कर नक्सली उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्रों में करने का उल्लेख नहीं है;

(30) कि पिछले वर्ष खाद्य तेल के क्रय में किए गए गोलमाल एवं उसे एक वर्ष रखकर सरकारी उपभोक्ता, दूकानों के माध्यम से (जन वितरण प्रणाली) बिक्री कराने के फलस्वरूप उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल हानिकारक प्रभाव पड़ने की चर्चा का उल्लेख नहीं है;

(31) कि तत्कालीन आरक्षी महानिरीक्षक द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आधार पर अनियमित ढंग से सिपाहियों की नियुक्ति की गई के विषय का उल्लेख नहीं है;

(32) कि कोशी परियोजना में प्रति वर्ष रख-रखाव के नाम पर करोड़ो रुपये की लूट की चर्चा नहीं है;

(33) कि बिहार के वर्तमान मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा बड़े पैमाने पर की गई हवाई यात्रा की बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप राज्य के संचित निधि पर बढ़े हुए वित्तीय बोझ की चर्चा नहीं की गई है;

(34) कि राज्य के विभिन्न अस्पतालों के कनीय चिकित्सकों की एक लम्बे अर्से से चल रही हड़ताल का समाधान नहीं निकालने के कारण पीड़ित जनता की हो रहे कठिनाईयों तथा उसके निदान की चर्चा नहीं है;

(35) कि निजी चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की हुई स्क्रीनिंग की रिपोर्ट प्रकाशन में हो रहे अप्रत्याशित विलम्ब के कारण उत्पन्न कठिनाईयों की चर्चा नहीं है;

(36) कि बिहार राज्य के सरकारी चिकित्सकों एवं न्यायिक सेवा सम्वर्ग के सरकारी सेवकों के प्रस्तावित हड़ताल एवं उससे उत्पन्न संभावित स्थिति की चर्चा नहीं है;

(37) कि उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन में अभूतपूर्व विलम्ब के औचित्य की चर्चा नहीं है;

(38) कि पूर्ववर्ती सरकार में उत्पादन बढ़ा था, अर्थ व्यवस्था की स्थिति सुधरी थी, उद्योग का स्थिति सुधरी थी, शैक्षणिक समस्यों थी, सम्पूर्ण राज्य में प्रगति का वातावरण व्याप्त था, मूल्य में गिरावट हुई थी, खुले बाजार में उचित मूल्य पर सभी समान मिलते थे, इसका उल्लेख नहीं है;

(39) कि प्रान्त में ग्रामीण उद्योगों की व्यवस्था नहीं रहने का उल्लेख नहीं है;

(40) कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य के सपने को मनोनयन द्वारा समाप्त कर दिया गया है, इसका उल्लेख नहीं है;

(41) कि पाँच हजार से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों तथा शहरों में शुद्ध जल की व्यवस्था करना, बिहार के 2,000 हजार से अधिक आबादी वाले गाँवों की बगल से पीच रोड से जोड़ने और सड़कों की पक्कीकरण की व्यवस्था करना एवं पूर्व में पक्कीकरण किये गये टूटी सड़कों का जीर्णोद्धार करने के विषय में उल्लेख नहीं है;

(42) कि जनवितरण प्रणाली, भ्रष्टाचार का अखाड़ा हो गया है, वहाँ उचित मूल्यों पर सामान का अभाव है और वहीं के सामानों का खुले बाजार में अधिक मूल्य पर मिलना चावल, गेहूं, मिट्टी तेल, दियासलायी, तथा चीनी का प्राप्त नहीं होने का कोई उल्लेख नहीं है;

(43) कि जन वितरण प्रणाली को लागू करने एवं उपभोक्ताओं को सही सामग्री देने तथा काला बाजार को रोकने में सरकार की असफलता का विवरण नहीं है;

(44) कि भिन्न-भिन्न काला कानूनो बनाकर सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं को फंसाने, प्रेस पर प्रतिबन्ध लगाने एवं प्रजातंत्र का गला घोटने जैसे सरकारी कारनामों का इस अभिभाषण ने कहीं जिक्र नहीं है;

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष, प्रश्न यह है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखि शब्द जोड़ें :—

किन्तु खेद है कि राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित विषयों का उल्लेख नहीं है :—

(1) कि राज्य में न्याय व्यवस्था में इतनी भारी गिरावट आ गई है कि जान-माल की सुरक्षा मात्र भगवान के नाम पर रह गयी है, जन-जीवन त्रस्त है, सामाजिक एवं राजनीतिक हत्यायें, डकैतियाँ, बलात्कार तथा छीना-छपटी की घटनाओं से बिहार की संस्कृति परम्परा की छवि धूमिल हो उठी है।

(2) कि महंगाई, बे-रोजगार, चोरबाजारी तथा आर्थिक, सामाजिक दुराचरण ने राज्य की शान्ति-प्रिय जनता और खासकर छात्र एवं युवा वर्ग में असंतोष का ऐसा वातावरण पैदा कर दिया है कि स्थिति विस्फोटक हो चली है।

(3) कि सरकार मुनाफाखोरों, चोर बाजारियों या घूसखोरी को प्रोत्साहन दे रही है और जन-वितरण प्रणाली सर्वथा विफल हो गई है।

(4) कि सरकार किसानों को उत्पादन बढ़ाने के क्रम में रियायती मूल्य पर आधुनिक कृषि यंत्रों, रासायनिक खादों, समुचित बिजली आपूर्ति तथा अन्य साधनों द्वारा सिंचाई व्यवस्था करने में सर्वथा विफल रही है।

(5) कि हरिजन, आदिवासी, पिछड़ी जाति एवं महिला छात्र-छात्राओं को समय पर छात्रवृत्ति अनुदान देने में सरकार विफल रही है।

(6) कि सरकार ने राज्य में और खासकर दूर-सूदूर देहाती क्षेत्रों में स्कूलों एवं कॉलेजों को खोलने के लिए इतना कड़ा प्रतिबन्ध लगा दिया है ताकि उन क्षेत्रों में शिक्षा का समुचित प्रचार प्रसार नहीं हो सके जो भारतीय संविधान और लोक-हित के विपरीत है।

(7) कि सम्पूर्ण देश में और विशेषकर बिहार, बिहार राज्य में कानून और व्यवस्था की विफलता का उल्लेख नहीं है और बड़े पैमाने पर फैले अराजकता का विवरण नहीं है।

(8) कि बार-बार आश्वासन देने के बावजूद भूमिहीनों को जमीन नहीं दी गई बल्कि मिली हुई जमीन से बड़े पैमाने पर बेदखल दिया गया भूमि हदबन्दी कानून को लागू करने में सरकार असफल रही है, सरकारी यंत्र भू-पतियों से साँठ-गाँठ करती रही है, और इन समस्याओं के सही निदान निकालने का कोई उपाय नहीं बताया गया है।

(9) कि न्यूनतम मजदूरी सम्बन्धी कानून वर्षों पहले पारित होने के बावजूद आजतक खेतिहर मजदूरों के लिये इसे लागू करने में सरकार असफल रही है।

(10) कि सारे राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों के साथ होने वाले घोर अन्याय को रोकने का कोई कारगर उपाय नहीं बतलाया गया है।

(11) कि भागलपुर का आँख-फोड़वा कांड तथा समस्तीपुर के कैदियों पर गोलीकांड जैसे जघन्य अपराध में सरकारी कर्मचारियों के कुत्सित कार्यों की भर्त्सना नहीं की गयी है।

(12) कि दर्जनों जगहों में बिना वजह पुलिस द्वारा किये गये गोलीकांड जिनमें निरपराध लोगों की जानें गयीं, उनको मुआवजा देने में सरकारी असफलता तथा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने का कोई निर्देश का उल्लेख नहीं है।

(13) कि तमाम शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों, छात्रों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों में सरकारी कारनामों के चलते बढ़ते हुए व्यापक असंतोष को सुलझाने का कोई ठोस प्रावधान नहीं है।

(14) कि प्रान्त में बढ़ती बेरोजगारी एवं पढ़े-लिखे तथा ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार देने का कोई कार्यक्रम नहीं है।

(15) कि शिक्षा के प्रसार के संबंध में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिये विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को स्थापित करने के संबंध में सरकार की जन-विरोधी नीति को वापस करने का कोई संकेत नहीं है।

(16) कि संविधान में दिये गये अधिकारों के अनुसार हरिजन, आदिवासी के संरक्षण के प्रतिपालन में सरकार की असफलता का जिक्र नहीं है तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये सरकार द्वारा दिये गये निर्णय को लागू करने में सरकार की असफलता का कोई जिक्र नहीं है ।

(17) कि काका कालेलकर आयोग, मुंगेरी लाल आयोग तथा बी० पी० मंडल आयोग द्वारा दिये गये सिफारिशों को लागू करने में सरकार पूर्ण असफल रही है और सरकार द्वारा विपरित कार्य किया जा रहा है ।

(18) कि आये दिन होनेवाली समाजिक एवं राजनीति कार्यकर्त्ताओं के हत्या को रोकने का एवं मुजरिम को सजा देने में सरकार की असफलता को कोई जिक्र नहीं है ।

(19) कि जन-वितरण प्रणाली को लागू करने एवं उपभोक्ताओं को सही सामग्री देने तथा काला-बाजार को रोकने में सरकार की असफलता के विवरण का उल्लेख नहीं है ।

(20) कि भिन्न-भिन्न काला कानूनों को बनाकर समाजिक एवं राजनैतिक कार्यकर्ताओं को फंसाने, प्रेस पर प्रतिबंध लगाने एवं प्रजातंत्र का गला घोटने जैसे सरकारी कारनामों का कोई जिक्र नहीं है ।

अध्यक्ष:—प्रश्न यह है कि (1) प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़े जाय :—

किन्तु खेद है कि राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित विषयों का उल्लेख नहीं है :—

(1) कि अभिभाषण में विधि-व्यवस्था की दयनीय स्थिति, मुकाबिला के नाम पर हत्या, समाजिक बलात्कार, चोरी, डकैती का जिक्र नहीं है ;

(2) कि भयंकर भ्रष्टाचार जिसमें सरकार और प्रशासन लिप्त है का जिक्र नहीं है ;

(3) कि ग्रामीण क्षेत्रों में समाजिक और आर्थिक तनाव से उत्पन्न विस्फोटक स्थिति और सरकार की असफलता तथा सरकार की ओर से सामंती तत्वों का बढ़ावा दिये जाने का कोई जिक्र नहीं है ;

(4) कि बड़े पैमाने पर खेत-मजदूरों को वाजिब मजदूरी से वंचित रखने तथा किसानों को लाभकारी मूल्य से वंचित रखने की सरकार की निति का जिक्र नहीं है ;

(5) कि बड़े पैमाने पर गांव के गरीबों को वासगीत का पर्चा नहीं देने तथा बटाईदारों की बेदखली जिक्र नहीं है ।

(6) कि विश्वविद्यालयों में व्याप्त भ्रष्टचार का जिक्र नहीं है ।

(7) कि बिहार में इस वर्ष बड़े पैमाने पर व्याप्त अकाल का जिक्र नहीं है ;

(8) कि आसमान छूती मंहगाई तथा राशनिंग व्यवस्था को पूरा असफल होने का जिक्र नहीं है ।"

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि—

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ें जाएं :—

किन्तु खेद है कि राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित विषयों का उल्लेख नहीं है :—

(1) कि छोटानागपुर एवं संथालपरगना के बहुमुखी विकास हेतु पृथक बजट बनाया जाय ।

(2) कि संथालपरगना जिला में पुलिस की गोली से मृत व्यक्तियों के लिये मुआवजा की व्यवस्था,

(3) कि संथालपरगना जिला में डिग्री कॉलेज खोलने पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने की व्यवस्था,

(4) कि संथालपरगना में मैकफरसन और गैजर सेटलमेन्ट में गरीब आदिवासी की हस्तान्तरित जमीन को कानून बनाकर वापस करने की व्यवस्था,

(5) कि राज्य सरकार संथालपरगना पहाड़िया सेवा मंडल का अधिग्रहण कर व्याप्त भ्रष्टाचार और शोषण से मजदूरों की मुक्ति की व्यवस्था,

(6) कि बढ़ती हुई महंगाई और काला-बाजारी रोकने की व्यवस्था,

(7) कि समानान्तर सरकार चलाने का बहाना बनाकर संथालपरगना में निर्दोष एवं गरीब आदिवासी की गिरफ्तारी पर रोक,

(8) कि विधि व्यवस्था की निम्नतम स्थिति, राजनीतिक हत्यायें, दिन-दहाड़े डकैतियां, लूट-पाट, कमजोर वर्गों विशेषकर आदिवासी-हरिजन पर अत्याचार,

(9) कि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में सरकार की पूर्ण विफलता,

(10) कि कांग्रेस मंत्रिमंडल की अक्षमता एवं निष्क्रियता,

(11) कि सरकारी पदाधिकारी की प्रोन्नति एवं पदस्थापना में व्यापक पक्षपात एवं जातपात की भावना,

(12) कि बिहार राज्य में अस्तव्यस्तता, अनियमितता, अराजकता एवं व्यापक भ्रष्टाचार,

(13) कि राज्य के विश्वविद्यालयों में घोर अशांति एवं अराजकता,

(14) कि प्रशासन में भेद-भावपूर्ण एवं व्यक्तिगत प्रपंचकारी नीति,

(15) कि राज्य के सभी पढ़े-लिखे लोगों के लिये रोजगार और नौकरी की व्यवस्था,

(16) कि विद्युत् उत्पादन में निरन्तर ह्रास एवं ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना में विफलता,

(17) कि संतालपरगना एवं छोटानागपुर जिले में पूर्ण नशाबंदी लागू करना,

(18) कि संतालपरगना एवं छोटानागपुर की विकास कार्यों की ओर अवहेलना, जनजाति परियोजना की धीमी प्रगति और आदिवासियों के शोषण और परेशानी से मुक्त करने की कारवाई में शिथिलता,

(19) कि प्रशासन एवं सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार जिसके कारण "घूस" जन-जीवन में निरंतर सामान्य होता जा रहा है,

(20) कि सामान्य उपभोग की आवश्यक वस्तुओं को सुलभ बनाने एवं बाजार से गायब होने से रोकने की व्यवस्था; और

(21) कि वर्त्तमान सरकार के द्वारा भूमि हदबंदी कानून का कार्यान्वयन नहीं किया गया।"

(यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ)

अध्यक्ष—अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं, माननीय सदस्य श्री रामाश्रय राय द्वारा जो मूल प्रस्ताव रखा गया है उसको लेता हूं।

प्रश्न यह है कि :

"सदस्यगण इस अभिभाषण के लिये राज्यपाल के कृतज्ञ हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

निवेदनों के संबंध में सूचना

11 निवेदन हैं, अगर सदन की राय हो तो निवेदनों के सम्बन्ध में सूचना विभिन्न विभागों को भेज दिया जाय।

(सदन की राय हुयी)

सभा कल गुरुवार दिनांक, 25 मार्च 1982 को 11 बजे दिन तक स्थगित की गयी।

पटना : रामनरेश ठाकुर,

तिथि 24 मार्च, 1982। सचिव,

बिहार विधान-सभा।